लेकिन फिर भी बीच-बीच में हम लोग और सभी माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्र में जाते हैं। मैं स्वयं भी जब अपने संसदीय क्षेत्र में जाता हूं तो लोगों से तरह-तरह की शिकायतें मिलती हैं कि implementation में कहीं न कहीं कोई कमी है, इसमें सुधार किया जाना चाहिए - सब मंत्रालयों को भी करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी करना चाहिए। इस बार हमारी सरकार ने, delivery mechanism सही हो और implementation सही हो, उसके प्रयास किए हैं। रोजगार गारंटी के लिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में ombudsman नियुक्त करने की बात कही गयी है ताकि भ्रष्टाचार की जो शिकायतें होती हैं, उनका तुरंत हल किया जाए और ये योजनाएं सही तरीके से चल सकें। श्री एन.के. सिंह साहब ने कई रिफॉर्म्स के बारे में सुझाव दिए हैं। जैसे scrutiny of the outlays - यह बात बिल्कुल सही है कि जो भी outlays हैं उनकी scrutiny हो। क्या दिया गया, क्या खर्च किया गया, क्यों नहीं खर्च हुआ, यह देखा जाए। इसके साथ ही classification of Government accounts, reforms in banking in general and Reserve Bank in particular और adoption of transparency in Budget-making. ये सब अच्छे सुझाव हैं। इन पर हमारा मंत्रालय विचार करेगा कि क्या कुछ किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य सदस्यों ने कई सुझाव दिए। मैंने सब नोट किया है। आपने रोजगार गारंटी के बारे में सुझाव दिए हैं, प्रधान मंत्री सड़क योजना के बारे में सुझाव दिए हैं, विद्युत उत्पादन के बारे में, पीडीएस के बारे में, अकाउंट्स और रिटर्न्स के बारे में सुझाव दिए हैं। इसी प्रकार NREGA के बारे में, Sixth Pay Commission के बारे में और सिंचाई के लक्ष्य पूरे करने के बारे में भी सुझाव दिए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन सब पर कार्यवाही होगी और फाइनेंस बिल आपके बीच में आ रहा है, उसमें आप लोगों के और महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए जाएंगे। उपसभापति महोदय, इसी के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसको consider करके return करने का काम करें।

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा) : सर, रूपाणी जी ने गवर्नमेंट इम्प्लाइज को पांच परसेंट डीए ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the question is:

That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2009-10, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 4 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI NAMO NARAIN MEENA: Sir, I beg to move:

That the Bill be returned.

The question was put and the motion was adopted.

SHORT DURATION DISCUSSION

The increasing obscenity and vulgarity in television programmes being shown on different channels against cultural ethos of the country

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we will take up Short Duration Discussion on the increasing obscenity and vulgarity in television programmes being shown on different channels against cultural ethos of the country. Shri Ravi Shankar Prasad.

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय उपसभापति महोदय, आपने इस अति लोक महत्व के विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। अपनी टिप्पणी आरंभ करने के पहले मेरे जेहन में एक सवाल उठता है कि मैं किस हैसियत से बात करूं।

एक माननीय सदस्य : फॉर्मर मिनिस्टर की हैसियत से।

श्री रवि शंकर प्रसाद : इस हाउस में अम्बिका सोनी जी हैं जो अभी I&B मिनिस्टर हैं, Leader of Opposition अरूण जेटली जी हैं, वे भी I&B मिनिस्टर रह चुके हैं और मैं भी I&B मिनिस्टर रहा हूं। हम तीनों में एक और समानता है। मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। अम्बिका सोनी जी भी पहले मीडिया को सुनाती रही हैं, सुनती रही हैं और झेलती भी रही हैं। अरुण जी का भी बहुत व्यापक अनुभव है, लेकिन इस सबके साथ-साथ हम सभी सांसद हैं। और हम सभी की एक व्यापक जवाबदेही भी बनती है देश के प्रति, समाज के प्रति। संविधान के छात्र के रूप में मैं प्रेस के अधिकारों को समझता हूं और जब मैं प्रेस की बात करता हूं, मीडिया की बात करता हूं, टी.वी. की बात करता हूं, तो मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि भारत में इसका बहुत जबरदस्त विकास हुआ है। We are indeed proud of the great growth of media and television in India. माननीया अम्बिका जी, अगर नए आंकड़े होंगे तो मुझे बताइएगा, यह 2005-2006 की रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर की रिपोर्ट है, जहां तक लगभग मुझे याद है, उसके बाद कोई सर्वे हुआ हो तो बताइएगा। इस देश में लगभग साढ़े बासठ हजार रजिस्टर्ड न्यूज पेपर्स हैं - पीरिओडिकल, वीकली और डेली, जिनकी टोटल रीडरशिप 18 करोड़ है। अगर 5 लोग पढ़ते हैं तो लगभग देश के 60-70 करोड़ लोग प्रिंटेड मेटीरियल्स पढ़ते हैं। लगभग 2130 न्यूज पेपर्स हैं Again correct me if I am wrong. You are the best person to do so. और लगभग आठ करोड़ अठासी लाख लोग डेली न्यूज पेपर विभिन्न भाषाओं के पढ़ते हैं।

[**उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन)** पीठासीन हुए।]

हिन्दी के न्यूज पेपर के जानने की मैं जो कोशिश करता हूं, लगभग 712 हिन्दी के न्यूज पेपर हैं, जिनकी रीडरशिप साढ़े सात करोड़ है। अगर हम टेलीविजन की बात लें, तो देश के आसमान में लगभग 325 चैनल घूम रहे हैं। Their signals are there. Correct me if I am wrong. This is what I have heard. All the more good, 480. लगभग 175 हम डाउनलोड करते हैं By the satellite principles and guidelines which we follow. मंत्री महोदया, मुझे फिर करक्ट करिएगा, जहां तक मेरी जानकारी है कि इस देश में 24 घंटे विभिन्न भाषाओं में 45 न्यूज चैनल्स हैं। अब आपने और दिया होगा तो बताइएगा। उपसभाध्यक्ष जी, इस देश में 11 करोड़ टेलीविजन होम हैं - सेटलाइट, केबिल, दूरदर्शन चैनल और अगर एक टी.वी. 5-6 लोग देखते हैं तो इस देश के लगभग 65-70 करोड़ लोग टेलीविजन देखते हैं। अब जो नया डायरेक्ट-टू-होम आया है, उसकी रेंज क्या है शायद उसकी गणना अभी नहीं हुई है। We are very newsy people Television entertainment is rising very fast. और एक नया सिस्टम निकला है No news is local news. जो पहले आधे घंटे में जिले का न्यूज है, वह दूसरे आधे घंटे में स्टेट का न्यूज बनता है और वह तीसरे आधे घंटे में कंट्री का न्यूज बनता है, और अगर उसमें कंटेंट है तो इंटरनेशनल न्यूज बन जाता है। जब मैं आज संसद में बोल रहा हूं तो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि हम प्रेस की आजादी के पूरे समर्थक हैं। मेरी पार्टी कमिटेड है दी फ्रीडम ऑफ प्रेस, मैं व्यक्तिगत रूप से भी हूं। प्रेस को इस बात का अधिकार है कि वह

4.00 P.M.

हमारी आलोचना भी करे और हमें उस आलोचना को स्वीकार करना चाहिए। लोकतंत्र है तो हमें आलोचना करने के अधिकार को देना पड़ेगा। कभी-कभी उनके अन-कंवेंशनल तरीकों पर हमारी आपत्ति होती है, वह चर्चा का विषय आता है। उन्होंने कई एम.पीज. के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन किया, जिन्होंने पैसे लेकर सवाल पूछे थे। लेकिन मैं इसके पॉजिटिव आस्पेक्ट को देखता हूं, उपसभाध्यक्ष जी, कि यही संसद है जिसने उस अवसर का उपयोग करके अपने उन 11 एम.पीज. को एक्सपेल किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कांस्टीट्यूशनली वेलिड माना है। तो अगर मीडिया हमारी कमजोरियां दिखाता है तो हमको उसका सम्मान भी करना चाहिए। इसलिए मूलतः प्रमाणिक रूप से भारत में जो टेलीविजन का विरोध हुआ है We need to be very proud of that. उपसभाध्यक्ष जी, एक शब्द है - Freedom of media, दूसरा शब्द है right of creativity, तीसरा शब्द है obligation towards society. इनके बीच में क्या रिश्ते हों?

उपसभाध्यक्ष जी, मैं अपने मन में एक सवाल पूछता हूं कि समाज, सरकार, संसद, सर्जना और सेंसर, इसके बीच में क्या रिश्ता हो? यह सवाल एक लोकतंत्र में हमेशा उठता है। उपसभाध्यक्ष जी, मेरी समझ यह है कि सेंसर की सुई इस प्रकार से नहीं चलनी चाहिए कि सर्जना की सरिता सूख जाए। इसके साथ ही, इतना आवश्यक यह भी है कि सर्जना का अधिकार इतना उच्छृंखल नही होना चाहिए कि संस्कारों के सरोवर गंदे हो जाएं। यह basic bench-mark है। Censor should not kill creativity, and the Right of Creativity should not be so irresponsible that it pollutes the time-tested propriety. यह मौलिक बिंदु हमको समझना पड़ेगा, जो बहुत आवश्यक है। लेकिन कई बार लक्ष्मण रेखा का अतिक्रमण होता जाता है। उपसभाध्यक्ष जी, अब उसका निदान कौन करेगा, बात यहां पर आती है। मैं बहुत प्रमाणिकता से महसूस करता हूं कि सरकार की भूमिका इसमें बहुत कम होनी चाहिए। We need to respect the freedom of the media and the Right of Creativity, and the Government should have a minimum role. लेकिन समस्या तो है और जब हम संसद में हैं, अगर देश यह चिंता करता है, तो हमें इसका उत्तर ढूंढना पड़ेगा, इसका क्या उत्तर होगा? इसके पीछे समस्या क्या है? मैं कुछ बातें आज खुलकर कहना चाहता हूं - मीडिया से भी, क्योंकि मीडिया के लोग हमारे मित्र हैं। आप गलतियों को जरूर निकालिए, लेकिन एक sting oepration हुआ एक टीचर अरोड़ा के साथ। उस sting operation के बाद हमने उसको पिटते हुए देखा है। बाद में मालूम हुआ कि वह पूरा sting operation गलत था। क्या हम उसके सम्मान को रेस्टोर कर सके? यह सवाल कही न कही उठाना पड़ेगा? हम उसके कितनी बड़ी क्षति कर गए, उसकी पूरी प्रतिष्ठा को, सम्मान को, His entire reputation stands completely destroyed before his pupils, before his students, and also before the society. उपसभाध्यक्ष जी, एक कार्यक्रम गुड़िया का था। यह एक चैनल पर आया था। वह मुस्लिम समाज से आती थी। उसका पति शायद गायब हो गया था। उसकी दूसरी शादी हो गयी थी। बाद में उसका पति वापिस आ गया। उसकी शादी का असर क्या है, यह चर्चा में आ गया। मुझे मेरे पत्रकार मित्रों ने बताया कि बाकी चैनल वाले उस चैनल के यहां पहुंच गए, कुछ लोग एफ.आई.आर. कर रहे हैं कि हमको भी गुड़िया मिलनी चाहिए, क्योंकि इस गुड़िया को हम भी दिखाएंगे। आप उस औरत की मानसिक परेशानी को समझिए। How she feels? मुझे याद है कि पटना में हमारे कुछ मित्रों ने धरना-प्रदर्शन में बद कर रखा था और दानापुर के पास,

तारिक अनवर जी, आपने वह कहानी देखी होगी, एक महिला डिलिवरी के लिए जा रही थी और बंद के कारण उसकी डिलीवरी सड़क पर ही हो गई। अब सुबह से शाम तक उस बेचारी महिला की तस्वीर, आपको कैसा लग रहा है, It was down right atrocious; I have not the slightest doubt in saying that. यह क्यों होना चाहिए, यह कब तक होना चाहिए? ये बड़े सवाल हैं।

उपसभाध्यक्ष जी, जहां एक और मैं इस देश के टेलीविजन के इंटरटेनमैंट और मीडिया की तारीफ करूंगा कि इसने देश में बहुत अच्छे काम किए हैं। आज लोग इंटरटेनमेंट को एप्रिसिएट करना सीख गए। मुझे याद है, मैं टेलीविजन की डिबेट में जाता हूं, जयन्ती और अभिषेक हैं, हां, अभिषेक आज हैं, आज आपको मैं बहुत दिन के बाद देख रहा हूं। उपसभाध्यक्ष जी, पहले जब हम टी.वी. डिबेट के लिए जाया करते थे, आपको याद होगा, तो हम लोगों की कोशिश होती थी कि हम लोग दूसरे को बोलने नहीं दें, सिब्बल साहब भी हैं, He has also been an equally important face on television debates. लेकिन देश ने हमसे अपेक्षा की कि आप civilised debate करिए, अपनी पारी का इंतजार करिए और आहिस्ता-आहिस्ता आज देश में हर टेलीविजन की डिबेट का स्तर बढ़ा है। उसी प्रकार से जो प्रोग्राम्स के कंटेंट हैं, उनका भी असर बढ़ा है। अगर कोई प्रोग्राम पूअर होता है, लोग उसको लाइक नहीं करते हैं, लेकिन महोदय, दिक्कत कहां आ रही है, यह बहुत समझने की जरूरत है। दिक्कत यहां आती है कि क्या बिकता है, क्या चलता है, क्या लोग देखना चाहते हैं? अब सवाल पूछिए कि ऐसा क्यों होता है? मुझे याद है, मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त थे, जो टेलीविजन के कॉरिस्पोंडेंट थे। वे पॉलिटिकल इस्यूज को कवर करते थे। उन्होंने मुझ से कहा कि रवि जी, मैं दो सपेरों को लेकर आगरा गया था, क्योंकि मुझे दो सांप खोजने थे, जो साथ-साथ नांचते थे। मैंने कहा कि आपको क्या हो गया है? उन्होंने कहा कि क्या बोलूं, आजकल यही बिकता है, इसलिए खोज कर रहा था। उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी चिंता यही है और इससे बड़ा सवाल यह उठता है, लोग कहते हैं कि ये लोग देखना चाहते हैं। इसके साथ यह सवाल उठता है कि आप दिखाना क्या चाहते हैं? आपको किसने यह अधिकार दे दिया कि देश क्या देखना चाहता है और इसकी सही समझ आपको ही है। They are important issues. We need to understand them. महोदय, जो मैंने समझा है, वह यह है कि इस पूरे घालमेल के पीछे जो एक सबसे बड़ी परेशानी है, वह है TRP की राजनीति, the politics of Television Rating Points. जो आज सबसे अधिक अन-साइंटिफिक तरीके से हो रहा है। कोई कहता है कि हमारा चैनल सबसे बड़ा तेज चैनल है, तो कैसे है? आज की TRP में हमारा प्वाइंट ऊपर है, तो दूसरा कहता है कि उनकी TRP का प्वाइंट एक बजे तक ऊपर था, तीन बजे के बाद हम ऊपर चले गए हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आज इस हाउस को बड़ी नम्रता से यह बताना चाहता हूं कि The greatest fraud is being played on the country in the management of the TRP; and I say so with full sense of responsibility. यह देश कोई 110 या 112 करोड़ का है। यहां एक या दो प्राइवेट एजेंसीज हैं। उन्होंने कहां से यह अधिकार प्राप्त कर लिया और देश में कुछ हजार मीटर्स रख लिए तथा कुछ शहरों में रख दिए। बस, उनको यह मोनोपली मिल गई कि हम यह तय करेंगे कि इनकी रेटिंग A है और इनकी रेटिंग B है। जब आपकी रेटिंग अच्छी होगी, तो आपको विज्ञापन मिलेगा। रेटिंग अच्छी करने के लिए आई बॉल चाहिए। आई बॉल करने के

लिए बस, यही बिकता है। This is the whole unfortunate nexus. मुझे मालूम है कि हमारे टेलीविजन में काम करने वाले एक से एक अच्छे लोग हैं। हमारे न्यूज चैनल्स में एक से अच्छे लोग हैं, जो देश को यह बताना चाहते हैं कि देश कैसे आगे बढ़ रहा है तथा देश कहां उलझ रहा है? उनके पास इसकी एक से एक स्टोरी है, लेकिन उनसे कहा जाता है कि आपकी स्टोरी बिकती नहीं है, क्योंकि इसमें TRP नहीं है। That is the real problem. उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे आज तक याद है कि एक चैनल का एक कार्यक्रम था कि इस देश के दलितों की स्थिति कैसी है? I remember that programme, a five-day programme, on the rights of our oppressed people, one symbol. उत्तर प्रदेश के किसी गांव की कहानी थी कि वह दलित साइकिल से आ रहा था और एक घर के सामने वह साइकिल से उतर गया। He would ride on that cycle even after 60 years of independence. जब वह उस घर को पार कर जाएगा फिर वह साइकिल चलाएगा। यह एक इतना रचनात्मक शोर्ट था, हमने कहा कि यह उन्होंने देश की एक बहुत बड़ी समस्या को किस तरीके से उठाया है। मुझे मालूम है कि हर चैनल में बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं, लेकिन बिकता नही है। सर, आज सबसे बड़ी बात इस देश को सोचनी है, संसद को सोचनी है और मंत्री जी मैं इस पर आपका उत्तर चाहूंगा कि What steps are you taking to undo this wholly non-transparent TRP business going on in this counrty? What is their accountability? Who has created it? What is their legal sanctity? All these things are required to be taken note of. मैं बिहार से आता हूं और कई लोग बंगाल से आते है तथा यहां पर असम से भी लोग है। वहां पर एक भी डिब्बा नही है। यदि पटना में दो-तीन मिल जाएं तो बड़ी गनीमत होगी। ...**(व्यवधान)**... उत्तर प्रदेश का वही हाल है, कांशी में नही हैं, असम में नही है और लखनऊ में नहीं है, लेकिन मुम्बई में होगा, दिल्ली में होगा क्योंकि विज्ञापन का सारा केन्द्र मुम्बई है, दिल्ली है। यहां पर विज्ञापन बनते हैं। यदि विज्ञापन चलाना है तो आई बॉल चाहिए। यदि आई बॉल चाहिए तो दिखाना है। यह वेस्टेड नेक्सेस बन गया है। मंत्री जी, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, मैंने साफ कहा है कि मैं किसी सरकारी हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं हूं, But it is high time you should have a law, have an autonomous regulator to determine the TRP of all the channels in the country by a proper support of law and we are willing to support you. यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज देश में हमें गर्व होना चाहिए कि हिंदुस्तान में इतने चैनल्स हैं। उनका रेट ऑफ ग्रॉथ फिफ्टीन परसेंट है We are proud of that growth. आज हिंदुस्तान के टेलीविजन के अच्छे प्रोग्राम वर्ल्ड के बेस्ट प्रोग्राम्स में आते हैं। इसके बारे में ईमानदारी से सोचना पड़ेगा और देश को फैसला करना पड़ेगा कि एक ऑटोनॉमस रेग्युलेटर हो, उसमें मीडिया के भी लोग रहें, वे लोग न्याय हित में हों, वे टी.आर.पी. तय करें। मैं सोचता हूं कि यह पूरी TRP मंथ टू मंथ तय होनी चाहिए, प्रोग्राम वाइज, डे वाइज और ऑवर वाइज नहीं तय होनी चाहिए। This creates the biggest vested interest. हम चाहेंगे कि आप इस दिशा में कुछ प्रमाणिकता से फैसला करें। एक और समस्या है ...**(व्यवधान)**... आप मुझे पांच मिनट का समय दीजिए, बड़ी कृपा होगी, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। एक विज्ञापन की समस्या है। माननीय अंबिका सोनी जी, आपका जो रूल है, आपको याद होगा कि केवल कंडक्ट्स रूल के अंतर्गत आप एक घंटे में सिर्फ बारह मिनट का विज्ञापन दिखा सकते हैं। आपको पता है कि विज्ञापन कितनी देर दिखाया जाता है। अकसर विज्ञापन का जो मामला

है मुझे याद है, मै उन दिनों पद पर था, दो-तीन विज्ञापनों को लेकर बहुत चिंता हुई। वह मैने नोटिस किया, उन्होंने कहा कि एडवरटाइमेंट कौंसिल, उनकी एक अंदर की बॉडी है, वह इसे देखती है। जब यह विषय अखबार में आया तो एडवरटाइजमेंट कौंसिल के एक अवकाश प्राप्त सचिव ने मुझे पत्र लिखा कि मंत्री जी, एडवरटाइमंट कौंसिल कुछ नही करती। जब तक वह नोटिस करती है, जवाब आता है, तब तक विज्ञापन का एक साल का कोर्स खत्म हो जाता है। Some of the advertisements are very good. जो मुझे सबसे ज्यादा भाता है, वह एक फोन कंपनी का विज्ञापन है, जिसमें एक छोटा कुत्ता, एक छोटी लड़की के साथ होता है, यह हाइट ऑफ क्रिएटिविटी है। उसके साथ ही साथ कितने भद्दे विज्ञापन आते हैं, जो भारतीय महिलाओं के प्रति कितना बड़ा अन्याय है, मै उनके लिए शब्दों का प्रयोग नही कर सकता हूं। इन विज्ञापनों मे कोई क्रिएटिविटी नही होती है। मंत्री जी आप जानती होंगी कि It is plain and simple commerce to promote good. इसलिए उसके बारे में जरूर विचार करना पड़ेगा। उपसभाध्यक्ष जी, मुझे आपसे दो-तीन बातें और कहनी है। यह जो ऑब्सेनिटी की बात करते हैं, समय बदला है तो हमें समय के अनुसार बदलना पड़ेगा, जैसे इस देश में लगभग सिक्सटी परसेंट से प्लस यूथ हैं। यूथ हैं तो उनके पांव थिरकेंगे और संसद में बैठकर हम कभी यह न सोचे कि हम नौजवानों को उनके पांव थिरकने से रोकेंगे, लेकिन इससे बड़ा एक और विषय है कि यह देश क्या सोचता है। मै आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 1995-96 के दशक मे हिंदी फिल्मों मे डबल मीनिंग वाले गानों को लिखने का एक चलन हो गया था। वे गाने इतने फूहड़ हैं कि मैं उनको सदन के पटल पर रखने की हिम्मत नहीं कर सकता हूं। अच्छे-अच्छे गीतकार इंदीवर सरीखे गीतकार भी खटिया सरका रहे थे, ऐसे गाने लिख रहे थे। उसी समय जावेद अख्तर साहब ने 1942, ए लव स्टोरी मे एक गाना लिखा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, It was the height of romantic creativity. वह गाना देश में लोकप्रिय हो गया। यह इतना लोकप्रिय हुआ कि पूरे देश में इसे गुनगुना रहे थे। मैं अपने मित्रों से कहूंगा कि यही हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान के सही मर्म को समझना जरूरी है। मै आजकल देखता हूं कि नए प्रोग्राम आते हैं, नए टी.वी. आते हैं, नया चैनल आता है तो कहते हैं कि आप हमारे यहां रामायण देखिए, दूसरा चैनल कहता है आप हमारे यहां कृष्ण देखिए, उनकी टी.आर.पी. बढ़ती है, विज्ञापन भी मिलता है। एक चैनल अपने यहां मीराबाई को दिखाने की कोशिश कर रहा है, लोग देख रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या मे spiritual चैनल्स आए हैं, उनकी रेटिंग कितनी बड़ी है। आज रामदेव बाबा योग दिखाते हैं, उनकी रेटिंग कितनी बढ़ी है, लेकिन होता क्या है कि टेलीविजन की पूरी डिबेट has gone haywire. आप कभी सार्थक चर्चा भी कीजिए तो आप मीडिया के राइट को कंट्रोल कर रहे हैं, आप फ्रीडम ऑफ प्रैस को कंट्रोल कर रहे हैं। मेरे ख्याल से यह दृष्टिकोण ठीक नहीं है। मैं बहुत विनम्रता से अपने मीडिया के लोगों से कहना चाहूंगा कि हम उनके पूरे अधिकारों का सम्मान करते हैं, लेकिन जब हम संसद मे बैठते हैं तो हमारी जवाबदेही देश के प्रति बनती है। हो सकता है कि आज मेरी कई टिप्पणियां तीखी लगी होंगी, हो सकता है कि शाम को कई चैनल्स पर मेरा चेहरा दिखाया जाएगा, लेकिन शायद मेरी जवाबदेही देश के प्रति भी बनती है और अगर हमारी मीडिया के मित्र, एंटरटेनमेंट के मित्र उस जवाबदेही को समझेंगे तो मैने चिंतन के लिए जो बात कही है, वे उसका स्वागत करेंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (Tamil Nadu): Sir, on this particular topic of media and

its self-control, 1 would like to say that as a democratic country, we are giving a lot of freedom to the people as well as the media. The survival of democracy is in the hands of the media. The media has to impart proper knowledge to the people. If they understand the people's mood, and if they work on what is needed for the country, then, the country will develop. But, taking advantage of the freedom, which is given in the Constitution, and interpreting article 19 (2), that freedom of expression allows everybody to say whatever they like. It would then mean there should be a law to curtail it. But the laws, which are available with us now, are very vague in every respect. If we look at Sections 292 and 293 of the Indian Penal Code, it gives a lot of exemptions, justifiably for public good; for example, those in the interest of science, literature, art of learning, or, for *bona fide* religious purposes, or, any ancient monument, within the meaning of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, or, any temple, or, any car used for the conveyance of idols. This is a basic structure-on which our democracy has been built even before the colonial countries had occupied our nation. It is no doubt that every temple, Hindu temple, is depicting various postures. The Konarak Temple, which is one of the major attractions for all the tourists, is the best example. But it is a part of science. People have to explain to the ordinary persons who may not have the advantage of knowing what sex is. But it should be confined to only those persons who need it. But when they make things available in every aspect, and advertise certain things in order to sell their product, which is in no way connected with sex at all – they include sexual words and pictures in it – we have to find out under what definition they are doing it. If you take the Information and Technology Act, Section 67 allows publishing or transmission. It is not clearly defined. At the same time, it has given the punishment period of 5 years to 10 years and a fine of Rs.2 lakhs for violation of the law under Section 67. If you take the Indian Penal Code, the punishment is only for two years and a fine of Rs.2,000 or Rs.5,000. These are all contradictions under which we are having laws. Now, when there is a contradiction, what is the definition that we take? There is no definition at all in our law. But, when we look at the definition of the U.S., the Pennsylvania Consolidated Statute defines it in Section 5909. It says, "The average person applying contemporary community standards would find that the subject matter taken, as a whole, appeals to the prudent interest." This is a definition given by the Americans. If we take the definition of an Eastern country, say, Japan, article 175 of the Constitution says, "It aroused and stimulated sexual desire, offended a common sense of modesty or shame and violated proper concepts of sexual morality." The U.K. defines it in the Obscene Publication Act, 1959, using the words "deprived and corrupt". These are the words which we have also borrowed when we amended the Act in 1969.

Sir, the Supreme Court of Canada, talking about undue exploitation holds that the dominant test should be the community standard. However, it is the standard of tolerance, not taste, that is relevant. South Africa's definition talks about (a) child pornography (b) explicit violent sexual conduct (c) bestiality. In that way, every country has its own definitions. The European Convention

of Human Rights says, the definition must be clear, contextually sensitive and responsive to the progress in the knowledge and understanding of the phenomenon towards which the legislation is directed. Vagueness is dangerous.

Sir, it is high time that we brought in a proper law. We need not ban everything because we do not have the right to choose channels. It is in the hands of the common man to make a choice with channels. But we can have one test. If the grandfather, grandmother, daughter, son and grandchildren can all sit together in their living room and watch television and if all that they are watching is acceptable, then there is no question of obscenity. Thank you, Sir.

SHRIMATI BRINDA KARAT (West Bengal): Sir, this is a very important topic and I express my appreciation to the Chair for giving us time to discuss it.

When it was known, Sir, that we are going to have such a discussion, I heard several commentators on television asking the question: Is it the right of Members of Parliament to decide what viewers are going to watch on television? It is not the job of parliamentarians to decide what channel, viewers are going to watch. But Sir, I think, when there is such an outrageous violation of certain minimum norms which have been set up, both in the Constitution and in various laws prevailing in India, it is certainly the duty of parliamentarians to discuss it and suggest remedial measures, and particularly so, when, as my colleague, Shri Ravi Shankar Prasad, has said, certain channels descend to the lowest depths while chasing TRPs. Of course, there are exceptions.

Sir, as a participant in women's movements, which for several decades now have been fighting against assault on the dignity of women, the aspects which I would like to focus upon are the portrayal in sections of the media, demeaning women, treating women as sex objects, commodifying women's bodies. These are aspects, Sir, about which we have laws in this country but which are being flagrantly violated. It is this which I object to. There are, at present two types of portrayals of women which, I think, are objectionable. The first is, as I said, which treats women as sex objects. The second is that which assaults a woman's dignity by portraying her in an extremely submissive, subordinate and passive role; a woman who in the name of self-sacrifice and sacrifice for the family, or in the name of some cultural constructs, permits the worst kind of atrocities against herself and her own body. That also, Sir, is extremely demeaning to women. We have seen serials which show a woman who is a victim of rape falling at the feet of the rapist and saying that she would be helped if he marries her. This is also very demeaning. The reason why these kinds of images of women are being portrayed – it is not of academic interest – but it is directly related to public behaviour and public approach towards women. We cannot deny the huge reach and power to influence minds that

the television has. Sir, studies have shown, both internationally and in our own country, the influence that such portrayals of women have in shaping public approaches to women.

And that is why, it is of direct interest that a control should be put on this. My party, Sir, and the Women's Organisation – I have been associated with the All-India Democratic Women's Association – have made it very clear. We are entirely against any type of Government censorship. In the name of censorship to censor channels, and, particularly, news channels, is abhorrent to the minimum norms of democracy. We are opposed to it. We are also opposed to the Government taking on itself the role of the upholder of the so-called morality. I am opposed to any kind of moral policing. But, 1 want to differentiate between moral policing in the name of culture and the dignity of women, the integrity of women's bodies and the commodification of women. Therefore, what I believe and what is required today is, what the Supreme Court had suggested many, many years ago, and with so many recommendations have come to the Government, *i.e.,* to set up a public authority, set up an-independent regulatory authority with representatives of the public who can decide a code of conduct. 1 can tell you very clearly that the media has utterly failed in any type of self-regulation. And it is this utter failure of the media in self-regulation, it is the utter failure of these bodies set up and the associations set up by the media – whether it is the Advertising Council of India, whether it is the Indian Broadcasters' Federation, whether it is the News Broadcasters' Federation to implement their mandate, to have some kind of self-regulation that today Parliament is forced to have a discussion like this, and to say, "No more. We are not going to tolerate this assault on women's dignity; we are not going to tolerate this promotion of obscurantism, this promotion of superstition, this promotion of caste-based identities which are harmful to oppressed castes, which treat with contempt poor people". This kind of thing, Sir, is abhorrent to public broadcasting and, therefore, we believe it is time the Government should come up with an independent regulatory authority, and I stand here today to forcefully make that demand.

The second point I want to make in this is, my friend has given many examples of what is happening today, which are very, very accurate and correct. But, you look at advertising today in this country, Sir. It seems that these advertisers have absolutely no code whatsoever. You look at the recent advertisements which have come for male deodorants. I mean, they are just absolutely shocking and obscene, and they make an absolute mockery of woman's sexuality. I am not against the depiction of woman's sexuality. You see it in Khajuraho; you see it in Konark. That does not undignify women. But, here you have an expression of woman's sexuality which is nothing but sensationalism; nothing but the use of women's bodies and nothing but titillation. It is absolutely

outright objectionable. And all these advertisements which utilise women's bodies from selling soap, to cars, to computers, there has to be some limit, Sir. The Advertising Council of India has this Consumer Council. I know it because we have made so many complaints to it. How many complaints have not made on behalf of my organisation? Only recently, we have made two complaints. We have made a complaint about 'Fair and Lovely'. Why? It is because it is a racist ad. In a country like India, you are trying to demean people who have a dark skin; you are promoting fairness; and you are promoting fairness by the use of chemicals which are hazardous, apart from everything else. This was several years ago, Sir. I had made a complaint. They set up some mechanism, but, till date, those ads are continuing. So, in this type of advertising code, I am afraid to say, the Council has utterly failed and the Government has also utterly failed because the Government had set up a Committee. That Committee, Sir, had various representatives of various sections. My organisation, AIDWA was also represented on it.

It has given its report; I mean, it was a very partial report, I do not agree fully with it. But, there are some very important recommendations that committee has made. The Government is sitting on it for the last two years. What is the use of setting up a committee to look at code of conduct if you are not bothered to implement at least some of the recommendations which may be very positive?

Then, one more thing I want to talk about, on news channels. Our news channels have a certain element of support because there should be no censorship on news. Just now, I was sitting in the Central Hall of Parliament. I do not want to mention the news channel because I am not specifically targeting or pointing to this or that news channel. There, it says, so and so, नीचे लिखा है News. What is being shown on that channel, right now? 'Belly dancing' with women who have very little clothes on. Now, since when this belly dancing, depicting women with very little clothes on constitutes news? The point is, even as far as news is concerned, this is the manipulation of news to utilise women's bodies, to push up the TRP ratings. This exactly is what I say, Sir, highly objectionable. Within this also, something is probably more shocking and, that is, the use of children and use of children's bodies. I have seen, Sir, video films made, picturisation of songs. It is very good to see picturisation of songs, they are good, they make you happy and they are very entertaining. But, there must be some standards on picturisation of songs. You have young women attired in school uniform, thereby showing them, as school girls, depicting themselves to attract the male gaze in a way which is really harmful and damaging to the young mind. Is this something we can accept or tolerate in the name of freedom of the channels to project what they want to project?

I had earlier made this point and I want to reiterate by quoting a survey which we have done. We had gone to Delhi University and Amity University. We had a 500 questionnaire. We questioned young boys and girls of equal number. You will be surprised to find. We had the list of some of the TV programmes which we felt were highly objectionable. Some advertisements were really demeaning to women. 80 per cent of the girls we spoke to felt that they were really demeaning and should be

scrapped. But, unfortunately, the large majority of young men who were interviewed felt the exact opposite. Some of the comments that they made were so revealing because their feeling was that girls want to be portrayed in that way and, therefore, it was permissible. So, in other words, you are projecting a picture as though young women in this country or women in this country equate modernity with the number of men that you can sexually attract! This is how minds and frameworks and mentalities are formed. Is this what modernity is going to be about? Is this the projection of modernity which is going to help young people to understand? So, this is what is extremely objectionable, Sir.

Therefore, I would like to reiterate that firstly we are not for moral policing. We know, in the name of culture, the most retrograde codes are imposed on women whether it is the dress code or behavioural codes; I am not, in the least, in support of any type of moral policing from any quarter. But, at the same time, this kind of freedom which is there today, used and misused by TV channels and by many newspapers should be put to an end by setting up this regulatory authority.

Sir, my last example, and 1 am verv sorry that 1 have to do this; I feel a bit embarrassed also to bring this up in the House, in front of so many of my male colleagues. But, the reason I want to do this is because it is not just fly-by-night television operators who are here today and gone tomorrow. Sir, this is one of the most respected and read national newspapers. This newspaper on June 29, and I am going to lay this on the Table of the House, – has got a page which is "Evergreen Legends of Dilli". And what are these evergreen legends of Delhi, Sir? You excuse me, Sir, and my colleagues may excuse me if I just talk about this. ...*(Interruptions)*... All my colleagues, yes. ...*(Interruptions)*... What it says is that 'continuing the traditional art of bottom pinching in buses, despite all odds. For being undeterred by age, caste, creed. ..... For the supreme ability to keep a poker face along with his twitching fingers for leaving his mark behind on society'. And for those who are nominated they are going to give award to two people. This is nothing but encouraging sexual harassment of women in buses. How can we permit such a thing? I demand, Sir, the Government launches criminal prosecution against those responsible for this. It is absolutely outrageous. It is not an advertisement; it is a programme, which is being run by this national newspaper in which they are giving awards for encouraging sexual harassment. It is absolutely disgusting and outrageous and I certainly demand that the Government and our very sensitive Minister - I do not know whether it will come under the Law Ministry or the Home Ministry or some other Ministry- to please look at this, take action against it and make an example of people who want to try and add humour to an act which is most degrading and objectionable to women. I strongly object to it, Sir, and I hope that the Government will do something about it. Thank you.

श्री कमाल अख्तर (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज पूरे देश के अंदर सांस्कृतिक मूल्यों के विरोध में, टीवी चैनल्स में बढ़ती हुई अश्लीलता और मर्यादाओं के उल्लंघन, जैसे महत्वपूर्ण विषय पर संसद के अंदर चर्चा हो रही है। सर, रवि शंकर जी ने और वृंदा जी ने, सब

लोगों ने इस पर अपनी बातें कहीं, मैं उनकी बातों से इत्तिफाक करता हूं कि हम लोग टीवी चैनल्स या मीडिया की आजादी के खिलाफ नही हैं। हम लोग यह मानते हैं कि आज देश के विकास में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। एक जमाना था कि जब दिल्ली या मुम्बई में कोई घटना होती थी तो गांव के अंदर उसकी सूचना पहुंचने में और उसे लोगों के सुनने मे दो-दो, तीन-तीन दिन लगते थे। आज यह मीडिया और टीवी चैनल्स की बदौलत है कि लोगों के बैठने मे, उठने मे, पहनने मे और सारी चीजों मे परिवर्तन हुए हैं। आज देश के अंदर राजनीतिक या किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी घटना भी होती है तो उसकी सूचना चंद सेकंड्स के अंदर गांवों तक लोगों के बीच मे पहुंच जाती है। हम लोगों को यह भी मानना चाहिए कि इस भारत के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान कृष्ण, अशफाकउल्ला खॉ, मौलाना अबुल कलाम आजाद, चंद्रशेखर और भगत सिंह जैसे लोगों के आचरण, उनके सिद्धांतों और उनकी नीतियों पर चलने वाले लोग भी हैं। हमने उनसे सीखा है, उनको पढ़ा है, उनके उसूलों को पढ़ा है। आजादी के नाम पर यह नही हो सकता। हम लोगों ने यहां पर 22 तारीख को एक मुद्दा रखा था। हम लोग Reality Shows या TV Serials के खिलाफ नही हैं, लेकिन आज Reality Shows और TV Serials के नाम पर हमारी मर्यादाओं, नीतियों, सिद्धांतों, हमारे बुजुर्गों ने हमें जो आचरण दिए और हमारे लोगों ने इस देश के अंदर रहने का जो एक कायदा-कानून बनाया, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि आज इस तरह के serials बनाये जा रहे हैं, आप लोगों ने इसी संसद के अंदर कानून बनाया और हम सभी लोग बाल विवाह के विरोधी हैं। हम यह कहते है कि बाल विवाह नही होना चाहिए, लेकिन आज इस चीज को serials के माध्यम से, "बालिका-वधू" के नाम से पूरी तरह से महिमा मडित किया जा रहा है। जब उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम बाल विवाह के विरोध में है।

सर, आज जहां लोग अपने TV Channels से देशभक्ति की फिल्में देखकर देशभक्ति की प्रेरणा लेते हैं, reality shows से अच्छे-अच्दे गायक और talented लोग निकलकर आते हैं, वहीं बालिका वधू, इस जंगल से मुझे बचाओ, सच का सामना और ऐसे-ऐसे प्रोग्राम्स हैं, जिनको मैं इस सदन मे बोल नही सकता, वह असंसदीय कहलाएगा। लेकिन, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन reality shows को तो छोड़ दीजिए, मैं अपने मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूं कि जो हमारे समाचार चैनल्स हैं, उनमें भी एक-आध देखा जाता है कि न्यूज खत्म होने के बाद जिस तरह के advertisement आज दिए जाते हैं, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कोई भी सज्जन आदमी, हिन्दुस्तान का कोई भी बुजुर्गों मे आस्था रखने वाला आदमी, उस चीज को बर्दाश्त नही करना चाहता। मैं बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है ताकि देश को पता चलना चाहिए कि वे कितना गलत कहते हैं। एक TV Channel में समाचार के बाद एक महिला फोन उठाती है और दूसरी महिला से पूछती है कि कैसे हुआ, कब हुआ, कितने घंटे हो गए। वह बोली कि अभी दस घंटे हो गए। तो दूसरी बोलती है कि 72 घंटे के अंदर इस गोली को ले लो, गर्भ का कोई खतरा नही है। इस तरह के अगर advertisement दिए जाएंगे तो बताइए कि किस तरह का प्रभाव लोगों पर और हमारी आने वाली जनरेशन पर जाएगा?

सर, मै मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि गांव के अंदर हम लोग देखते है कि मेला, उर्स लगते है। मेले के अंदर अगर कोई भी नोटंकी या डांस पार्टी लगाना चाहता है तो उससे कहा जाता है कि आप पहले DM या SDM से अनुमति लेकर आइए। उन्हे इसलिए अनुमति नहीं दी जाती कि वहां पर सैंसर से पास हुए गानों पर नाच-गाना होता

है, शांति भंग होने का खतरा होता है और उससे लोगों में गलत संदेश जाता है। लेकिन, सर, मैं कहना चाहता हूं कि अभी एक TV Channel पर मैं गया, वहां पर बहस चल रही थी, बहस में उन्होंने कहा कि अगर आपको यह channel पसंद नहीं है तो आपको इसे बंद कर देना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक channel नहीं है, इस तरह के ऐसे-ऐसे और इतने channels हैं कि अगर उन channels को आप बंद करेंगे तो लोग TV देखना बंद कर देंगे।

एक यह बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि एक VH Music Channel है, जिसमें Night Live NEWS होता है और उसमें पिछले Saturday की रात को, उस प्रोग्राम में भारत के झंडे का कलर पीछे करके उस पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा जाता है - The Biggest Condom. सर, यह कितनी घटिया बात है।

सर, हम लोग मंत्री जी से यह कहना चाहते है कि न तो हम लोग reality shows के खिलाफ हैं, न हम serials के खिलाफ हैं, लेकिन जब ये पास किए जाते हैं, जब इस तरह के प्रोग्राम्स जनता के बीच में प्रसारित होने के लिए जाते हैं, तो कम से कम कोई ऐसी समिति बनाएं या उनको इस प्रकार से सैंसर जरूर करें, ताकि जो ये अश्लील बातें हैं, अश्लील विचार हैं, ये हमारे नौजवानों या समाज के बीच में न जाएं, जिससे उन पर गलत असर पड़े। हमारा सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि और जो इस तरह के कार्यक्रम आपकी निगाह में हैं, अभी आपने नोटिस लिया है, आप ऐसे channels के खिलाफ, ऐसे कार्यक्रमों के खिलाफ कड़ाई से कदम उठाएं, ताकि वे इस समाज के अंदर अश्लीलता न फैला पाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. K. MALAISAMY (Tamil Nadu): Thank you very much, Mr. Vice-Chairman, Sir, I appreciate the sponsors instrumental for bringing this topic for discussion because it is very much the felt need of the society and it is more timely also. In other words, a right topic has been chosen at a right time. My job is pretty easy, particularly, after listening to Mr. Ravi Shankar Prasad and Shrimati Brinda Karat. They have done enough justice to their job.

Coming to the subject, any place on earth has got its own origin, history, culture, character, etc. in the same way, India has got its unique features in terms of its own culture and character. Sir, particularly, I have got the greatest appreciation for our Hindu family system, hospitality, character and culture in which a family has been built. I have also got the greatest appreciation of how our children are brought up, how elders are respected by children, etc. It is unique to India alone. We have borrowed so many things from other countries. If we borrow right things, it is well and good. But, at the same time, the Western countries' cultural invasion over India has done the greatest damage. I mean, this is very much , instrumental because of our media.

Sir, yourself and the entire House knew that the Indian democracy stands on three pillars – Executive, Legislature and Judiciary – operating through bureaucracy and assisted by the Fourth Estate. Sir, the Fourth Estate, namely media, is a very important tool in our democracy. Media has been playing its role in several ways. We appreciate the other ways. But, it has done the greatest

damage to the society as rightly pointed out by our colleagues spoken earlier. A man is said to be fully grown only when his body is grown, his mind is grown and his soul is grown, Unless body, mind and soul are grown together, man is not complete. We look at it in this way. On the one hand, due to media's influence, man's body is out, health is out, mind Is out and soul is out. I do not like to go into the details at all. And, on the other, serials, advertisements and other features, in T.V. which have been explained by our friends, have been doing the greatest damage to our society. This is how I look at it. As rightly said by Shri Sudarsana Natchiappan, the law is inadequate. The hon. Minister and the officials concerned may try to say that we have got this law, we have got this system and all that. But, according to me, whatever may be the system in existence, whatever measure that we are taking, they are all inadequate and ineffective. This is the first point.

Secondly, Sir, for any objective to be achieved, one should have organisation, manpower and operation. According to me, your organisation or your operation is inadequate to meet the situation. You have got legislation only for the name sake. What is the use of any law which confines itself only to paper? It should be effectively implemented. There has to be an effective law and it should be implemented effectively. Sir, unless law is rigorously implemented, unless persons are given deterrent punishment and the violators are dealt with severely, things cannot improve. In short, what I am trying to say is, law should be effective and the system to implement that law should be much more effective. On the whole, the society needs that Television channels should be disciplined to the extent, that our character and culture is safeguarded. Thank you.

Sir, you should thank me, because, today, I have completed my speech much earlier than the time allotted to me. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): You have not done that. What you have done is: you have taken up the speeches of both, Brindaji and Shri Ravi Shankar Prasad. Your points are also there. You have also taken their points, I heard them. Anyway, thank you for sticking to the time. I Will be very happy if you behave like this every time.

SHRI SHYAM BENEGAL (Nominated): Mr. Vice-Chairman, Sir, 1 have heard with great interest the earlier speakers. There is very little to disagree with them, except, I think, the conclusions drawn are not something that 1 would entirely endorse because I believe that the Government has really very little role in all this. Essentially, culture is dynamic. The whole process is evolving. What was culturally unacceptable, yesterday, is culturally acceptabe today. And, what was culturally acceptable, yesterday, is maybe culturally unacceptable today. So, it is a constantly changing pattern. When it comes to television. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Benegalji, isn't there is something basic?

SHRI SHYAM BENEGAL: Yes, there is. For instance, you have classic culture; you have folk culture; you have popular cultures; you have mass cultures. Now, the fact is that until the middle of 20m century, you really did not think in terms of mass culture. Today, you have to think in terms of mass culture. And, this mass culture is made possible, essentially, because of the kind of technology that we have today. For instance, television is part of this mass culture. The manner, in which television functions, is incredible. We know that it has enormous power because it reaches everybody. To me, the important thing here is really the fact that it is a social medium. Because it is a social medium, there has to be a sense of social responsibility. Now, this is where really the problem really exists. In our country, I can tell you, like, for instance, we have had the Censor Board for cinema for many years. And, I do not believe that the Censor Board is actually an effective way of regulation because it has not functioned efficiently in all these many years. It has not functioned well at all. We have a certain kind of sense of cord. Obviously, that sense of cord is, essentially, based on ideas that can be interpreted very subjectively. In any case, for instance, in matters of culture, in matters of taste, it is a question of my word against yours. I do not believe that there can actually be an objective way of judging these things. It is a question of I like it or I don't like it; or, somebody likes it and other's don't. But, this whole debate has started because of a few programmes that are being shown on television. Now, this particular set of programmes, as you well know, have been directly taken from television, outside our country, that is, from American television. For instance Sach ka Saamna is nothing but a copy of something, called, "Moment of Truth'. 'Moment of Truth' has been showing even in India over a long period of time. Nobody objected to it. It is strange that nobody objected to it because it is as though we are not offended if some foreigner demeans himself or herself. But we suddenly get affected when our own people demean themselves. Ultimately, what is this particular programme? This programme is simply, like, say, "I will give you so much money, if you strip naked in public". This is what the programme is all about. It is a very simple thing. This programme is demeaning to human being as such; it is a terrible thing; it is a terrible kind of programme and concept. If anybody says, "Yes, it has got very high TRPs. Obviously, it will have very high TRP. It is a simple thing. If there is an accident on the road, who does not want to watch that? Everybody does that. If there is an act of extreme violence, who does not watch that? Everybody watches that. Day-before-yesterday or yesterday, we saw on television a lady being stripped and people were just watching, doing nothing but watching, just spectating. Now, this kind of spectating is involuntary. It is not voluntary. People do not do it by choice. Similarly, pornography is also the same thing. It is demeaning. After you have seen something like that your own sense of self-esteem disappears. People do these things in private. For instance, if you go to a cyber cafe,

you have young people, teenagers, on one side, and you have a dirty old men on the other side watching porn sites. I don't particularly worry about that because they are individuals and they are doing it in private on which you cannot legislate anything at all.

It is a very simple thing. Television is a social medium and if it is a social medium, it means that it is going to be watched by public at large, often families; it is family viewing and 90 per cent of the time, it is family viewing. But, even then, I do not believe that the Government has any serious role to play in this. I think, what needs to be done is, we need to create regulatory, self-regulatory body. That self-regulatory body of the Broadcasting Council or whatever, needs to have an equal number of people from civil society. I do not at all believe that you need to have Government people on it. I don't think the Government people should really be involved in all this. I believe that you need to have a regulatory body which consists of people from the industry itself, television industry itself, and, on the other side, you should have a group of people who happen to be members of the civil society. I also believe that the casting vote should be in the hands of a person belonging to civil society. I think, that is the most important thing. Otherwise, I don't think we can get rid of it, and, I certainly don't believe that the Government has any serious role to play in this. I can immediately tell you that from 1928 we have had the Film Censor Board. Can we say that it has succeeded? It hasn't succeeded because if you look at the history of the last 10 or 15 years, you will find that the Censor Board, which has quasi-judicial powers, will actually give a Censor Certificate to a film. But then one or another political interest will suddenly decide that they will I go and attack the cinema house. And, what happens? Is that Censor Certificate worth anything at all? It is because often the Police will stop the film saying that it is a threat to law and order. This has happened time and time again.

So, I personally do not think that the Government has any role. But I do believe that civil society has a role in this and the Broadcasting Council itself has a role in it. I think, we can determine how to set that kind of a body. Thank you very much.

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आज मै एक ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूं, जो आए दिन लोगों को, mass को प्रभावित करता है और कभी-कभी ऐसा लगता है कि वह जो दिखा रहा है, वही सच है और जो हम लोग देख रहे हैं, चाहे वह मजबूरी मे देखें, चाहे जैसे भी देखना हो देखें, लेकिन इतनी बात सच है कि टेलीविजन मे जो कार्यक्रम आ रहे है, उन कार्यक्रमों मे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होना जरूरी है। श्याम बेनेगल साहब ने जो कहा कि सरकार उस पर प्रतिबंध नही लगा सकती है, मैं उस विचार से सहमत नही हूं क्योंकि अगर सिनेमा दिखाने के लिए सेंसर बोर्ड है, तो टेलीविजन के लिए भी एक सेंसर बोर्ड होना जरूरी है। हमारे एक मित्र ने कहा कि अगर मेले में कोई फंक्शन करने जाता है, कोई नाच-गाने का कार्यक्रम करना चाहता है, वह कार्यक्रम सही है या हंगामे वाला है। तो अगर एक साधारण नाच-गाने का प्रोग्राम कोई मेले में करने जाता है और उसके लिए उसको परमिशन की जरूरत है, तो टेलीविजन तो लाखों-करोड़ों लोग देखते हैं, उसमें अगर कुछ obscene दिखाया जाता है, कोई

गलत बात दिखाई जाती है, किसी को अपमानित करने के लिए दिखाया जाता है, किसी को नीचा दिखाने के लिए किया जाता है, तो उसके लिए अगर कोई रेग्युलेटरी अथॉरिटी नहीं होगी, तो फिर यह मामला कैसे चलेगा? उदाहरण के लिए मैं एक सवाल यहां रखना चाहता हूं। बच्चों का एक कार्यक्रम होता है - कार्टून फिल्म! छोटे-छोटे बच्चे जो कार्टून फिल्म देखते हैं - उसको बच्चे नहीं समझते, हम समझते है कि उसमें कार्टून के माध्यम से इतना violence दिखाया जाता है कि बच्चे को अगर आप पढ़ने के लिए कहिए, तो वह गुस्सा हो जाता है और कार्टून में एकदम involve हो जाता है। वह foreign की कार्टून फिल्म होती है, उसको यहां लाकर borrow किया जाता है और हमारे घरों में बच्चे इतना कार्टून देखते हैं कि उनका पढ़ने का मन नहीं करता है।

वे पढ़ाई करने के लिए जाने को तैयार नहीं होते हैं। इन cartoon films में यह सब दिखाया जाता है कि इधर से कोई मार रहा है, उधर से कोई और मार रहा है। इसके बारे में जरूर विचार करना चाहिए। सर, अब मैं "बालिका वधू" के बारे में कहना चाहता हूं। "बालिका वधू" में बच्चों की शादी हो जाती है। अगर आप उस पूरे सीरियल को देखेंगे, तभी कोई conclusion निकाल पाएंगे, लेकिन अगर कोई आधा ही सीरियल देखेगा तो उसे यही पता चलेगा कि बच्ची नई-नई शादी करके आई है, उसकी दादी कैसे उसको रूम में बंद करती है और खुद रूम के बाहर खड़ी हो जाती है। फिर कैसे 5 घंटे, 6 घंटे, रात भर उसको रूम में बंद कर देती है कि तुम इसमें रहो, तुम्हें बाहर नही निकलना। इस प्रकार ये जो violence वाले सीन हैं, जो मानवीय दृष्टि से खराब हैं, उनके बारे में हम लोगों को जरूर विचार करना चाहिए। अगर आप इन पर विचार नही करेंगे तो उनका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। हमारे एक मित्र ने अभी बहुत अच्छी बात कही, शायद रवि शंकर प्रसाद जी ने कहा था, कि एक महिला, जो स्कूल की टीचर थी, उसके बारे में टेलीविजन में क्या-क्या नही दिखाया गया लेकिन बाद में वह सब गलत पाया गया। इस प्रकार वह महिला तो अपमानित हो गई, अब उसका क्या होगा? जब कोई ट्रायल चलता है, judiciary का ट्रायल चलता है, लेकिन ट्रायल मीडिया में हो जाता है कि उसने ऐसे किया, वैसे किया। यह क्यों होता है? क्या हमारी मंत्री महोदया या हमारी सरकार इस पर रोक नहीं लगा सकती है? क्या आप मीडिया का ट्रायल करेंगे? यह एक गंभीर समस्या आपके सामने है और इस समस्या के संबंध में हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा, नही तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि आज बच्चों के साथ बैठकर कोई बहुत अच्छे सीरियल या टेलीविजन के प्रोग्राम देखने लायक नही रह गए हैं। कभी कोई गड़बड़ हो जाती है तो हम लोग रिमोट अपने पास रखते हैं ताकि उसे बंद किया जा सके, जैसे अगर हम लोगों के साथ कही कोई बच्चा बैठा है और कही कुछ गड़बड़ हो जाती है, जैसे किसी को मार दिया, उसे हम लोग देखना चाहते हैं, लेकिन बच्चों को नही दिखना चाहते हैं। इस प्रकार आज हम पारिवारिक परिवेश में टेलीविजन नही देख सकते। ऐसे घर, जहां एक ही टेलीविजन है, उसी में सबको सब कुछ देखना है। अगर पारिवारिक परिवेश नही बनेगा तो दूरदर्शन या टेलीविजन देखना मुश्किल हो जाएगा। सर, कुछ अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं। कुछ अच्छी बातें आती हैं जैसे Discovery Channel है, जिसे देखना हम लोग पसंद करते हैं। लेकिन जो रिएलिटी शोज़ हैं, जैसे "सच का सामना" नामक सीरियल आता है जो रात को साढ़े दस बजे स्टार टीवी पर आता है। उसमें पचास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक करोड़ रुपए मिलते हैं। आपको सच बोलना है कि किस लड़की से आपको प्यार था, नहीं था, परिवार के बारे में सच बोलिए और एक करोड़ रुपए पाइए। अगर असत्य पकड़ा गया तो फिर आपका गेम खत्म हो गया। यह सीरियल "कौन बनेगा करोड़पति" की तरह है जो रात को साढ़े

दस बजे "स्टार टीवी" पर दिखाते है। सर, मै आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इन पर जरूर रोक लगनी चाहिए। अगर आप रोक नही लगाएंगे तो आने वाले समय मे हम लोगो को बहुत मुश्किल होगी। हमें कभी-कभी लगता है कि लोगों में टेलीविजन देखने की जो एक बाढ़ सी आ गई है, आने वाले समय में एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि लोग इसको देखना बंद कर देंगे और फिर रेडियो के चैनल्स शुरू होंगे, रेडियो पर गाने शुरू होंगे। इसलिए अभी से ऐसा कुछ काम करिए, जिससे obscene यहां नही दिखाए जाएं, लोगों को प्रोग्राम देखने में अच्छा लगे। इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए। आपने हमें मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, इस विषय पर मेरी पार्टी की ओर से श्री रवि शंकर प्रसाद जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी बात रखी है और मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी काफी कुछ प्रकाश डाला है। इस संबंध में मुझे अपनी ओर से भी दो-चार बातें कहनी है। सच बोलना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन यह सत्य है कि सच बोलने के लिए साहस की जरूरत होती है और इन तर्कों के सहारे हम अश्लीलता और अशिष्टता के प्रदर्शन को जायज नहीं ठहरा सकते। इस तरह के जो कार्यक्रम आते हैं, उनको मैं एक तरह से समाज विरोधी ही कहूंगी। बंद कमरे में होने वाली बातों से अलग सार्वजनिक अभिव्यक्ति की और अपनी मर्यादा की अलग सीमाएं होती हैं, क्योंकि तब ये बातें व्यक्तिगत न होकर सार्वजनिक हो जाती हैं और इसका असर किसी व्यक्ति पर न पड़कर पूरे समाज पर पड़ता है। अब आप उदाहरण के तौर पर यही देख लीजिए कि जो बलात्कार की शिकार महिला होती है उसका नाम सार्वजनिक नही करने की मर्यादा का पालन, मीडिया स्वयं करता है, उसके ऊपर कोई दबाव नही है। उस सामाजिक जिम्मेदारी को वह अच्छे से निभाता है। मैं कहना चाहती हूं कि ऐसी ही जिम्मेदारी की भूमिका की अपेक्षा हमें इलेक्ट्रोनिक मीडिया से अन्य कार्यक्रमों के प्रसारण में भी है। टी.आर.पी. की होड़ में सामाजिक सरोकार की अपेक्षा मीडिया भले ही पूरी न कर सके जिसकी उससे अपेक्षा है, लेकिन इतना संयम तो उसे बरतना ही चाहिए कि किसी की निजी जिंदगी, नितांत निजी सच की प्रस्तुति का तर्क देकर वह उसे जायज नहीं ठहरा सकता है। इसी तरीके से हमारे समाज में जो विसंगतियां हैं, कुरीतियां हैं, जो रूढ़ियां हैं, और अंधविश्वास हैं, आजकल देखिए कि कितने सारे चैनलों पर जो सीरियल आ रहे हैं, अब उसमे हद हो गई है, जहां एक तरफ हम female foeticide की बात करते हैं, लेकिन वहां सिर्फ एक महिला ने दोबारा बच्ची को जन्म दिया है इस कारण परिवार वाले लड़के की दूसरी शादी कर रहे हैं। यह हम क्या दिखा रहे हैं? अन्य सीरियल में एक जगह बंदूक की नोक पर शादी की जाती है और उस लड़की के साथ जिस तरह परिवार में अत्याचार होते हैं और वह सह रही है तो मुझे समझ में नहीं आता है कि यह क्या दिखला रहे हैं। ऐसे एक नही सैकड़ों सीरियल्स हैं। इसी तरह से विज्ञापन भी ऐसे हैं जिन विज्ञापनों के बारे में पूर्व में भी कहा गया है, समय अभाव के कारण मैं उनको नहीं दोहराना चाहूंगी, लेकिन उनके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि कार्यक्रमों को दर्शक पसंद करना चाहते हैं। आपको देखना होगा कि इनकी संख्या कुल आबादी में कितनी है? जो लोग इन बातों पर विश्वास करते हैं और इनको बढ़ावा दे रहे हैं वही इसे पसंद कर रहे हैं तो उनको आप इस तरह की बातें दिखला कर समाज में यह संदेश देना चाहते हैं कि ये बातें बुरी नहीं हैं तथा इनसे हमें निज़ात नहीं पाना है। तो इसी तरीके से मैं कहना चाहूंगी कि जो इलेक्ट्रोनिक मीडिया है, टी.वी. है उन्हें स्वयं को यह देखना होगा कि उनकी प्रस्तुति का समाज पर क्या असर पड़ रहा है। इसी तरीके से मैं यह कहना चाहती हूं कि सत्य वही है

जो समाज को नई दिशा दे और उनके अंदर एक सृजनात्मक और रचनात्मक अच्छे कार्यों को प्रोत्साहित करे। तो टी.वी. चैनल्स खास तौर से भी स्वयं इस बात का ध्यान रखें।

महोदय, आपके माध्यम से मुझे और कहना है कि यह जो मीडिया और चैनल हैं, उन पर सेंसरशिप हो। जो मेरी पार्टी का पक्ष है, वह रवि शंकर प्रसाद जी ने रखा है। मैं भी स्वयं उसकी वकालत नहीं करती हूं, वह नही होना चाहिए, लेकिन आज सदन में मैं जरूर मांग करूंगी कि इन सब पर एक सामाजिक सेंसर जैसी व्यवस्था जरूर लागू होनी चाहिए। अगर इसके लिए कानून बनाने की जरूर पड़ती है तो सरकार को संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अभिव्यक्ति की आजादी के साथ ही जो हमारे व्यापक सार्वजनिक हित का मामला भी है और अभिव्यक्ति की ऐसी आजादी को हमारा संविधान भी हमें इजाजत नही देता है, जिसके अंतर्गत हमारे जो सामाजिक हित हैं उनके ऊपर कुठाराघात हो। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगी कि एक तरफ जहां हमें इनको संयम बरतने के लिए इलेक्ट्रोनिक मीडिया को कहते हैं, साथ ही संसद में भी सभी सांसदों से आग्रह करना चाहूंगी कि जब संसद में हम आज इस बात को उठा रहे हैं, तो जब वे संसद के बाहर अपने क्षेत्रों में जाते है तो वहां पर भी जाकर जागरूकता पैदा करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि जो अश्लीलता है और अशिष्टता की अभिव्यक्ति होती है, उसके खिलाफ हम जन दबाव बना सकें।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, Shri Shantaram Laxman Naik; not more than seven minutes.

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK (Goa): Sir, please give me ten minutes. I gave the notice.

The source of entire freedom which is being used by the electronic media is said to be article 19. This article 19 is no licence by any stretch of imagination for the very fact that it mentions that nothing prevents a State from enacting law to impose reasonable restrictions on grounds of public order, morality and decency. This article is very clear, and, in no circumstances, it can be used as a licence. Besides this, we have got section 292 of IPC, and the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986. In the later part of my speech, I will read both Codes Programme Code and Advertisement Code - which is very much there under the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995. This entire set of laws can never permit what we are talking today. Only thing is that there must be a will to implement these existing regulations. Secondly, Sir, media, unfortunately, takes advantage of the fact that we are scared of the media, or, our respect for the media. Even when Shri Ravi Shankar Prasad was speaking, he was apologising after every sentence because he was * that he might be misunderstood.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Don't say that he was * That is expunged.

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Naturally, Sir, we are politicians; we have to go to the field. We are * Let me say, I am scared because we are public figures, we have to go to the people.

---

*Expunged as ordered by the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): You can say you are scared; not in his case.

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Today, why are we having a debate on this issue? It is not because of all those serials being telecast on television. Umpteen times, we have discussed this matter. The immediate reason for me, and others also, to give notice was the serial, Sach Ka Samna. That provoked us to give notice and we have hardly spoken on this serial. What are the questions asked? Question asked to a lady was whether she, at any time, thought of killing her husband. This was the question asked. Then, in front of her husband, in front of her relatives, other such questions were asked like, "Did you sleep with some one else after your marriage?". By what stretch of imagination, can this serial be permitted? I was shocked to know that a person like Vir Sanghvi, the Editor of a leading newspaper, justified the serial. Because these people go to programmes and they earn lakhs of rupees. Therefore, they justify anything which comes on television. This is shocking to me. Therefore, Sir, we have to do something about this aspect. The argument that these people come voluntarily on the programme and they are told about the questions is no justification. It is not their question only. What about those people who listen, children who listen such things? Vir Sanghvi says, "Switch off your television." Switching off the television is not a solution. Therefore, this is a TV serial which has to be considered seriously. We have discussed other serials earlier also. Now, programmes are also being shown on astrology. People sit with laptop. बताइये, आपकी डेट क्या है, कितने बजे जन्म हुआ था, कहां पर जन्म हुआ था? फिर, टुक, टुक करके भविष्य बताते हैं। क्या बताएं, आपकी शादी कब होगी, फलां, फलां समय और दिन आपका शुभ नहीं है, उस वक्त आप कुछ काम मत करिए उसके बाद एक अंगूठी पहल लीजिए या फिर कुछ religious rites करिए, आपकी शादी हो जाएगी। ये लेपटॉप वाले आ गए हैं। At least, there are two-three programmes where these people sit with laptop take two-three details of the person and then immediately, they tell the future. Such misguiding serials are being shown. Is this permissible under any law? Then, there are programmes where, time and again, we are told, " दुनिया खत्म हो रही है", "the world is going to finish". कितनी बार ऐसा प्रोग्राम हो गया है।

Everybody was scared. Maybe that we were not scared to that extent. But sometimes, we also feel that it may be so. Who knows? गांव के लोगों को तो बहुत सारे डर होते हैं।

Second aspect is superstitious programmes based on superstitious beliefs. First of all, we have to blame ourselves because sometimes, we, as politicians, also perform some other rites which are akin to superstitious beliefs. Our Constitution speaks about maintaining 'scientific temper'. Everywhere, we say that 'scientific temper' should be increased amongst children. Around 25-28 years ago, Late Indira ji, in her Twenty Point Programme, had also mentioned about it. But we are

not increasing scientific temper in our political, private or social life, and, are performing so many rites which are nothing but superstitious beliefs.

Down South, in the last elections, a political party's president asked every candidate seeking ticket to the election, to come with an application along with his or her horoscope. This is what the leaders perform. Shyam Benegal ji, I agree with you on most of the issues except when you said that if somebody goes to a cyber cafe and watches some porno, there is no objection or something. It is not so. Now, under the I.T. Amendment Act, that is a serious offence. The other day, I said, people should be educated; students should be educated because they do not know about this law. Students from various schools and colleges can be picked up by the police because this has become an offence. Earlier, it was considered under 'privacy'.

Moreover, Sir, these TV channels do not look after what we do here. Nobody reports the functioning of the Parliament or shows the debates in which we participate. They do not cover a single sentence which is spoken by the Members; the Question Hour is also not covered. But, if any of our Member, more so, fortunately, if some actor or actress is standing outside and waiting for his or her car, that photo will appear on the front page. But nobody bothers about what we say inside this House. Let the television channels ponder over it, and, do something about it. I have seen it several times. These are the incidents.

Sir, I congratulate doordarshan. Madam, I am also telling you that unless you watch doordarshan, you cannot get the exact picture of what is happening in the country. If you really want to know about the activities of the Government or of other organisations, you have to watch doordarshan because there is no other channel except doordarshan, which covers this aspect.

I remember an incident when our former Member, Shatrughan Sinha, and, our Member, Jaya ji, both criticized the doordarshan. I told them, it is the doordarshan, which made you popular in villages, when these channels were not there. People used to see you on television in the movies which were telecasted on Sundays, and, thereby, Mr. Shatrughan Sinha became popular; Jaya ji became popular during Guddi days. ...**(Time-bell rings)**... Sir, will take only two minutes more. ...*(Interruptions)*...

Sir, nobody referred to the law of the land on this? Because of lack of time, I will not go into the details. Sir, The Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 prescribes two codes, one is the programme code and the other is the advertisement code. It is elaborately mentioned as to which programmes cannot be aired by the television operators. It has been done specifically and these are exhaustive guidelines. But the only thing is that these restrictions are there only for the poor cable television operator, and, for those who produce programmes, there is no restriction. You have put restrictions only on the Cable Network people. Therefore, there is a need for a regulatory body to cover all these aspects. Let media not take it as an offence; we have to do that one day or the other. Thank you.

SHRIMATI VASANTHI STANLEY (Tamil Nadu): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. I would also like to thank the people who are responsible for mooting this Short Duration Discussion

on Increasing Obscenity and Vulgarity in Television Programmes. Sir, at this juncture I would like to say,

"As our refined woman
Does possess the qualities of
Elegant walk,
Straight Vision
And Uncompromising doctrines,
Never do they divert
From their uprightness"

This is what Bharathiar says. This is how a lady should be, always straightforward. But, what is being shown in the television is really very, very disgusting. There are only two types of women being shown in the television programmes, one lady is always crying; whatever is going on, she is being beaten up, she is being ill-treated and the other woman, who is being depicted over there, is shown almost like a villain. She is depicted as all bad. Either this sort of thing or that sort of thing is shown. But, this is not the reality. In case of cinema, we have to spend some time as well as some money. But in this case, this comes to our house where we can see it. Umpteen number of channels are there. I mean, a lot of private channels are there. When DD-I and DD-II were there, 'Junoon' and 'Dard, were shown on television. We cannot forget the characters. In a TV serial extra marital affair of Keshav Kalsi is shown. Whatever is shown there, that is all justified. Each and every character is being depicted, is being shown as if everybody is having some extra marital affair. I just wonder what will happen to the minds of the people, the housewives, and the children who are watching these programmes from minimum 6.00 p.m. to 9.00 p.m. And there are some really poor husbands. They are not even given their meal at proper time when the serials are going on.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Pool husband! Teach him to cook.

SHRIMATI VASANTHI STANLEY: This we can discuss later. This is some other subject. I don't want you to intervene in this please, Madam.

So, they are regularly seeing such serials which are corrupting their minds like anything. Suppose any foreigner - all foreign channels are coming to us and we are seeing them – comes here and see, is this what is India, is this our culture which is shown in our television serials.

Apart from this, our media people are always after something sensational. When the Mumbai bomb blasts happened, the same day many more important things were going on, but nothing was shown. Each and every minute of the Mumbai blasts was shown. Everybody was watching that. In fact, we had to watch only that. This is another thing about media. They are teaching what is not allowed. As my colleague, Mr. Shyam Benegal, was telling, what is not even allowed even by the Censor Board in the Cinemas, in the big screen, it is being shown on the television. I will tell you what is being shown in a particular serial, Sir. We are going to enact a law against the acid being thrown

on ladies. We are about to enact some law against that. But what a television serial shows is, a person is taking one egg. He is removing what is inside it and with a syringe he is taking everything outside and then acid is being put inside. They are actually teaching in this particular serial how this acid thing is prepared and then thrown on the face of a lady. Of course, some good programmes are there. I was Member of the Censor Board. We had certain norms like what things are to be shown and what things are not to be shown and there are some bad words which should not be shown on the big screen like this. Is it possible to bring such a thing, such a regulatory system, for the small screen also? That is a question. You belong to my neighbouring State, Sir. In each and every State, we have our own culture. We have seen unity in diversity. So, the best thing would be, not as my colleague was telling, if the regulatory system is made only of the TV people, the same thing will happen. They will be encouraging, they will be advocating their own rights only. So, this regulatory system should be given certain guidelines like these are the things which can be shown, what is already prevailing in the Censor Board. Like eunuch people being always shown for comedy purpose.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.)*

These sorts of things have to be avoided as per the Censor Board rules. Similarly, we can form a set of rules for this regulatory system uniformly for each and every television programme, which have to be followed. Whatever regulatory system we are going to propose, it should be there in every State. A minimum of ten people representing a cross-section of society should be present on the board, so that some effective steps can be taken to prevent vulgarity and obscenity from TV programmes. Thank you, Sir.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (Karnataka): Mr. Deputy Chairman, Sir, I am thankful to you for having given me this opportunity. I am sorry I was not here to listen to the debate. I am told that some hon. Members spoke wonderfully well. More time was given to women Members. They made good contribution to the entire debate. You know that we were held up in the General Purposes Committee meeting and that is why we could not be present in the House.

Sir, I just want to make two points. I was not expected to speak. I am Chairman of the Committee on Petitions. This matter came up before the Committee on Petitions. I would request the hon. Minister to pay some attention.

Hundreds and thousands of people met us at various places and some of them came and deposed before the Committee. They all asked us to stop this violence, vulgarity, and obscenity. People are really horrified to see what is being shown on TV. As far as content of the programme is concerned, comparatively, Doordarshan is better. There is no doubt about it, as far as the present context is concerned. If you see what is happening across the board, it is a very horrible situation. We feel pained. Are we so helpless? Can't we do something about this?

Fortunately, we have a lady Minister who represents our culture and tradition. I hope that she will take note of the sentiments of the House and the sentiments of the people and do something in this regard. This is my first suggestion.

Two, Sir, I do not know about the content which is shown on TV channels in this part of the country. In southern parts of the country, on certain channels, while some programme is going on, you get a scroll. Even in the morning, I saw it. It says, "Geeta, I love you. Where are you? Geeta, I want to kiss you." In the morning I saw it on the television. It is not that a person is speaking to another person. It is through SMS.

This is the reason why I stood up in the House to bring it to the notice of the hon. Minister. These kinds of SMSs are coming on TV channels. They take the name of any person, anybody's daughter or anybody's sister without their consent. If 'X' is loving 'Y,' I have no problem. I don't want to come in between them. They can talk to each other on the telephone. Or they can meet, greet, talk, walk and then do what is allowed. I said, 'what is allowed.' What is not allowed is not expected to be done. But the point is that it is shown on a screen meant for public.

Mr. Kapil Sibal is also here. He must also guide us how to take care of this. It is a very serious issue. It pains us. Every day on a television channel this scroll is coming mentioning a name and then it gives the name of place also like Rajahmundry, Visakhapatnam or Chennai.

Sending that sort of SMSs has become a big business. All sorts of vulgar messages are being aired by television channels. What will be the impact of that SMS on our young generation? That is a big issue which is agitating our minds. I just told my Leader also that I would take a minute to intervene in between and draw the attention of the hon. Minister to take care of the three aspects violence, vulgarity and obscenity.

Secondly, about this new technology or new business or commercial proposition of going into the personal lives of individuals and airing it on a television channel and then unnecessarily creating bad ideas in the minds of younger children of the country. It is a very bad thing. I know that you cannot control everything. I am also aware of it. But there are provisions whereby you can regulate this.

I hope the Minister also got the recommendations of the Committee on Petitions before her. It was placed before Parliament. We made a categorical recommendation saying that there has to be a similar organisation like the Press Council of India with more teeth. The Press Council of India is toothless. It is everybody's knowledge. There has to be a regulatory body for the electronic media also.

Sir, I may bring it to your notice that the people from the electronic media came and met the Committee. They said that they were planning to have self-regulation. I told them that self-regulation was the best regulation. But, it's not happening and everybody is not going by that. So, that being the case, there has to be a regulatory authority.We have the mushroom growth of the television channels. It is good in one way. Earlier, there was only Doordarshan. दूरदर्शन, यानी दूर से दर्शन करना।

देश में अब बहुत दर्शन हो गया, बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं और टीआरपी के लिए, कॉम्पीटीशन के लिए चैनल्स में जिस तरह की अनहेल्दी प्रैक्टिस हो रही है, इसके बारे में हमें थोड़ा गंभीरता से सोचना चाहिए। I only urge upon the Minister to take note of the feelings of the people, keep in mind the recommendations of the Committee and do the needful. Thank you.

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र) : उपसभापति महोदय, धन्यवाद। यहां से लेकर वहां तक मैं सबके भाषण सुन रहा हूं ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती वृंदा कारत : जो आप बोल रहे हैं, कहीं यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है।

श्री राजीव शुक्ल : नहीं यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल नही है। इस मामले में आप एकदम निश्चिंत रहिए।

1997 से इस तरह की स्पीचिज चल रही है। बारी-बारी से सब लोग सरकार में रह चुके हैं। एक भी दल ऐसा नही है, जिसका सरकार से डायरेक्टली या इन्डायरेक्टली नाता न रहा हो, लेकिन किसी ने कुछ नही किया। 'जब जागो तब सवेरा', इसलिए मैं समझता हूं कि आज अगर यह बहस हो रही है, तो यह एक बहुत अच्छी शुरूआत है और फिर हमें अम्बिका जी जैसी मंत्री मिली हैं, जिनमें कुछ कर दिखाने का दम-खम है। हमारी अपेक्षा है कि आज जब यह बहस एक सार्थक मोड़ पर आ पहुंची है, तो इस मामले में कुछ न कुछ निर्णय अवश्य होना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि निर्णय क्या हो? निर्णय बहुत साफ है। मेरा अपना व्यू है और वृंदा जी ने भी कहा कि सरकार की मॉरल पुलिसिग नही करनी चाहिए। 480 चैनल्स हैं, रोज़ टेक्नोलॉजी बदलती है, इसलिए सरकार को इस झंझट में नही पड़ना चाहिए। यह एक दिन की बात नही है। सरकार के वश मे यह नही है कि वह इस तरह से कुछ रोक लगाए, डंडा चलाए, दारोगा बैठाए और नोटिस भेजे। ये सब काम सरकार के लिए बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो तमाम तरह की बातें शुरू हो जाएंगी। इसका सही उपाय सदन के सभी माननीय सदस्यों के भाषणों से निकल कर आ रहा है, जिसे श्री वीरप्पा मोइली जी के नेतृत्व में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिशन ने भी दिया था और लगातार इसके लिए सब तरफ से तमाम सिफारिशें आई हैं और वह यह है कि इसके लिए एक रैगुलेटरी अथॉरिटी बननी चाहिए। उस रैगुलेटरी अथॉरिटी में ब्रॉडकास्टर्स के रिप्रेज़ेंटेटिव्स हों, क्योंकि अगर ब्रॉडकास्टर्स मानते नहीं हैं, तो उनको इस बात के लिए मनाना चाहिए। इसलिए उसमें गवर्नमेंट के रिप्रज़ेंटेटिव्स भी अवश्य हों और साथ ही समाज के अन्य वर्गों का भी प्रतिनिधित्व हो। वह अथॉरिटी कंटेट के मामले में और अन्य मामलों में निर्णय ले। मैंने देखा कि सदन के सारे वक्ता इस अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, इसलिए सरकार को रैगुलूटरी अथॉरिटी तो हर हालत मे बनानी चाहिए, यह मेरी भी मांग है और उसमें सभी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अकेले सरकार के अफसरों से डंडा चलवाने से कही कुछ होने वाला नहीं है। उस झंझट में सरकार को पड़ना भी नही चाहिए।

दूसरी चीज़ यह है कि अगर आप उसमें पड़ते भी हैं तो कौन यह तय करेगा कि क्या ऑब्सीन है और क्या नही है, क्या अश्लीलता है और क्या नही है? कल जैसे वृंदा जी ने जिक्र किया कि एक प्रोग्राम आ रहा था, जिसमें लोग बोल रहे थे कि संसद सदस्यों को इस पर बोलने का क्या अधिकार है। ये कौन होते हैं, जो सूखे की बात करें या गरीबी की बात करें? वे यह बात क्यों नहीं करते कि इस देश में भुखमरी है? बाद में यही लोग कहेंगे कि ये कहां से आ गए यह बताने के लिए कि कौन सा प्रोग्राम होना चाहिए और कौन सा नही होना चाहिए, इस देश में इस तरह की बहस शुरू हो जाएगी। कोई कहेगा कि यह अच्छा है और कोई कहेगा कि यह खराब है। अब मैं आपको एक छोटा सा

उदाहरण देता हूं। पाकिस्तान के बॉलर एक होते थे, सरफराज़ नवाज़। गेंद की शाइनिंग के लिए उसे थाई पर रगड़ना पड़ता है और वह टीवी पर भी दिखाया जाता है, तो सारे मौलानाओं ने इसका विरोध कर दिया कि यह अश्लीलता है और यह बंद होना चाहिए। बॉलिंग करते वक्त, जब यह अपने रनअप पर चलता है, तब इसे टीवी पर बिल्कुल नही दिखाना चाहिए। इसलिए इस तरह की बहस यहां पर भी शुरू हो जाएगी, जैसे रब ने बना दी जोड़ी पर भी बहस हुई। मैंने शाहरुख खान से पूछा कि इस तरह की फिल्म आप क्यों कर रहे हो, तो वह कहने लगे कि लोग यही देख रहे हैं, ऐसी ही फिल्मों की मांग है और आप देखना कि यह फिल्म जरूर चलेगी और वे सारी फिल्में चली।

जहां हम इस बहस में पड़ेंगे कि यह होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, यह अश्लील है, यह अश्लील नही है अथवा क्या सवाल उठ रहे हैं, तब आप इस चक्कर में बेवजह फंस जाएंगे। इसलिए मंत्री जी को एक रैगुलेटरी अथॉरिटी के गठन की घोषणा अवश्य करनी चाहिए, जिसमें सबका प्रतिनिधित्व हो। मैं वृंदा जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि खाली मीडिया या ब्रॉडकास्टर इसको लागू नही कर सकते है। न्यूज के बारे में देख लिया गया है कि उसके लिए सेल्फ रैगुलेटरी का सिस्टम बना, एक ने उल्लंघन किया तो दूसरे ने भी उसे नही माना। इस तरह कितनी ही बातें कही जाती हैं, लेकिन आपस में भी वे उन्हें नहीं मानते और एक-दूसरे को डिफाई कर देते हैं। इससे काम नही चलेगा। कही न कहीं इसके लिए रैगुलेटरी अथॉरिटी बिठानी चाहिए। हो सके तो उसमें जुडीशियरी के, सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड या फॉर्मर जज को चेयरमैन बना दिया जाए अथवा जो कुछ भी किया जाए, उसको कुछ पावर्स दी जानी चाहिए।

वेंकैया जी का जो सुझाव है कि इसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरह होना चाहिए, यह बात थी तब थी जब सुषमा जी थी। उस समय मीडिया काउंसिल की बात आई थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से ज्यादा इनइफेक्टिव कोई बॉडी नही है। तीन साल तक मै उसका मैम्बर रहा हूं। सर, उसमें ऐसे-ऐसे प्रतिनिधि है, जिनका खुद ही वजूद होना चाहिए कि वे पत्रकार है भी या नहीं और फिर भी वे तय करते है कि क्या गलत है और क्या सही है। इसलिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से ज्यादा बेकार कोई बॉडी नही है। इस चक्कर में पड़ कर आप इस पूरे विषय को, जिस पर आज इतनी गम्भीर और सार्थक बहस शुरू हुई है, उसको खत्म कर देंगे। इसलिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी कोई बॉडी बनाकर उसे इस चीज को रेफर करने का कोई मतलब नही है। या तो आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को यह पावर दीजिए कि जो गड़बड़ करेगा, उसको सरकार के DAVP का विज्ञापन बंद हो जाएगा। तब तो कुछ नुकसान से फर्क पड़ेगा, बाकी इन बातों से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए इसमे रेग्यूलेटरी अथॉरिटी वाली जो बात है, उसका सबसे ज्यादा असर होता है।

एक बात रवि शंकर जी ने उठाई और बाकी लोगों ने भी उठाई। ...**(समय की घंटी)**... सर, यह मेरा लास्ट प्वायंट है। यह बात टी.आर.पी. को लेकर है। यह सारा झंझट शुरू होता है, TAM नाम की एजेंसी से, जोकि एक प्राइवेट एजेंसी है, जिसके पीछे advertisers हैं। एक बड़ी advertising agency इसको स्पोंसर करती है। उसका वेस्टेड इंटरेस्ट चाहे जो भी हो, वह हर हफ्ते-क्या टाइम्स ऑफ इंडिया की हर हफ्ते सर्कुलेशन की रिपोर्ट आती है? क्या हिन्दुस्तान टाइम्स या दैनिक जागरण अथवा अन्य अखबारों की हर हफ्ते सर्कुलेशन की रिपोर्ट आती है कि इस हफ्ते कितने अखबार बेचे? अगर नही, तो फिर न्यूज चैनल की हर हफ्ते क्यों आती है कि इतना देखा गया या इतना नही देखा गया? इससे क्या होता है कि कम्पीटीशन होता है। कुछ दिनों में आप देख लीजिएगा, मैं चेतावनी दे रहा

हूं, कि संसद का एक भी कवरेज नही होगा, प्रधान मंत्री या नेता-विपक्ष किसी का कोई कवरेज नही होगा। हम तो न्यूज चैनल नही चलाते, वृंदा जी ने कहा vested interest, लेकिन यह सही है कि हमारी पत्नी यह चलाती हैं। उसमें शुरू में यह हुआ कि पूरी न्यूज दो, न्यूज दिखाओ, न्यूज दिखाओ। बाद में यह हुआ कि बजट की TRP एक आई है, अगर वह TAM की rating सही है। TAM के बहुत कम मीटर हैं। बिहार, बंगाल आदि जगहों में वह कहते हैं कि साहब, यहां के लोग गरीब हैं, इनमें परचेचिंग पावर नहीं है, इसलिए वहां मीटर मत लगाओ। मुम्बई और गुजरात में बहुत सारे मीटर लगाओ, क्योंकि वहां के लोगों की परचेचिंग पावर बहुत है। उन्होंने उसमें पांच, छः या सात हजार मीटर लगा रखे हैं। उनमें क्या होता है, क्या नही होता है, किसकी रिपोर्ट देते हैं? वे कहते है कि कुत्ता और सांप की लड़ाई हुई, नाग-नागिन का प्रेम हुआ, इसकी TRP ज्यादा आ रही है। उसे वे दिखा रहे हैं। इस तरह इसमें TAM एक बहुत बड़ा विलेन है, यह जो TRP का सिस्टम TAM है। जैसा उन्होंने कहा कि एक प्राइवेट एजेंसी को इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि वह इस देश के हजारों करोड़ का बिजनेस तय करे, इस देश की संस्कृति तय करे कि इस देश मे कैसे लोग रहेंगे, क्योंकि वही जिम्मेदार हैं। अगर यह न हो, तो कोई इस तरह के प्रोग्राम्स भी न दिखाए, जिनकी आप आलोचना कर रहे हैं। उसकी मजबूरी मे, क्योंकि इस चैनल की रेटिंग गिर गई, दूसरे की बढ़ गई ...**(समय की घंटी)**... और उनको यह करना पड़ता है। इसलिए इस पर रोक लगा कर मेरे ख्याल से एक कमिशन बनाना चाहिए, जो कम-से-कम एक लाख मीटर लगाए, देश के हर राज्य मे मीटर लगे और वह छः महीने या साल-भर में अपनी यह रिपोर्ट दे कि इस चैनल की रेटिंग यह रही और उस चैनल की यह रही। न्यूज चैनल के मामले में तो यह जरूर कर देना चाहिए या न्यूज चैनल को आप TAM की परिधि मे, उसकी ambit से बाहर निकलिए। उनकी रिपोर्ट छः महीने बाद दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में भी यह करना चाहिए कि उसके लिए एक independent commission होना चाहिए। उसमें ब्रॉडकास्टर्स भी हों, गवर्नमेंट के लोग भी हों और उसमें एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई जज हो। उसके एक लाख मीटर्स भी हों। वह यह रिपोर्ट दे कि कौन-सा प्रोग्राम कैसा है। तब तो आप इसे सम्भाल पाएंगे, वरना कुछ दिन में ऐसा होने वाला है कि आप सब लोगों की कोई कवरेज नहीं होगी, पार्लियामेंट का कोई कवरेज नही होगा, देश का कोई कवरेज नही होगा। दूरदर्शन के बारे में वे बताते हैं कि वह बिल्कुल तीन दिखाई देता है, जो तीन टी.आर.पी. रेटिंग है, जबकि पूरे देश मे उसका कवरेज है, मतलब वह हर जगह, नॉर्थ ईस्ट आदि सभी जगहों पर देखा जाता है। इस तरह का TAM agency ही है, जो ये सारी चीजें तय करती है। इसके विरुद्ध पूरे सदन को एक होना पड़ेगा, सरकार को यह करना पड़ेगा। वे आकर यह बताते हैं कि नही-नही, इसमें फिर कहां से रेटिंग आएगी? ये क्या है? ये सब vested interests हैं। हजारों करोड़ का निर्णय लेने का अधिकार किसी एक प्राइवेट एजेंसी को, जिसकी लगाम advertisers के हाथ में है, advertising agency के हाथ मे है, नहीं देनी चाहिए। यही मेरी सरकार से मांग है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. JANARDHAN WAGHMARE (Maharashtra): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. I think that legislators are the keepers of the conscience of the society and the country, and therefore, we have a role to play. The Government has a very meaningful role in this particular matter. Legislation is necessary, regulatory body is also very essential. Sir, all this is done in the name of art

and culture. But art and culture ennoble your minds, elevate your minds at higher level, but the expression of vulgarity and obscenity degrades your mind, and that is what we are seeing in various serials and advertisements and various things that are shown on TV.

This has already crossed the laxman rekha. It has completely abolished it. I do not blame all the media persons; they have contributed a lot to our country, to our cultural values. The Government, the people, responsible people, of our society are the custodians of cultural ethos of the country, and we have to preserve it. "Freedom of expression" does not mean "freedom of obscenity and vulgarity". We can define what is "vulgarity"; we can define what is "obscenity". Therefore, we should not be very vague about it and we should not create a feeling that the Government cannot do anything in this matter. Government may not be hundred per cent effective, but Government has a role to play in this particular matter. The language, the dialogue, the gestures, all these things are meant for sexual gratification, and the ulterior motive is commercialism. This has to be understood Constitution has imposed certain duties and obligations on the legislators and the parliamentarians, and on the Government also, and we have to do that. Our cultural ethos have to be protected at any cost. Thank you very much, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri Kalraj Mishra.

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, मैं आप का आभार व्यक्त करता हूं कि आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं इस संबंध में अपने सभी साथी, सम्मानित सदस्यों द्वारा प्रकट विचारों के साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं तथा यह अनुभव करता हूं कि जो विषय हमारे सामने आया है, वह निश्चित रूप से हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को अवमूल्यित करता है।

महोदय, इस बारे में निश्चित रूप से मीडिया के लोगों को और सदन को भी गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। हमारी पार्टी के श्री रवि शंकर प्रसाद जी ने भी इस विषय में विस्तार से सारी बातें कही हैं।

महोदय, सीरियल "सच का सामना" के माध्यम से आज जिस विषय पर चर्चा की जा रही है, यह सही मायने में अमेरिका में प्रसारित एक सीरियल, "The Moment of Truth" पर आधारित है, जोकि बहुत ही विवादित था, लेकिन लोकप्रिय भी था। उस कार्यक्रम पर आधारित इस सीरियल "सच का सामना" को प्रसारित किया जा रहा है। महोदय, अमेरिका में बहुत ही विवादित कार्यक्रम होने के बावजूद उस कार्यक्रम की टी.आर.पी. बहुत बढ़ गई थी। संभवतः इस बात का आंकलन कर के इस चैनल ने यह विषय चुना और "सच का सामना" कार्यक्रम बनाया। महोदय, अभी माननीय सदस्य बेनेगल साहब ने कहा कि उस के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठ चरण - कुल 6 चरण हैं और षष्ठ चरण तो इतना भयंकर चरण है कि लोग उसे न देख सकते हैं और न सुन सकते हैं। इसलिए इस सीरियल से यह चर्चा उभरकर आई है।

महोदय, सीरियल "सच का सामना" तो केवल एक symbolic है, अगर आधार मानकर देखें तो पाएंगे कि आजकल टी.आर.पी. प्राप्त करने की होड़ में चैनल्स किन-किन प्रकार के विषयों को उजागर करने का प्रयत्न कर रहे है। इस बारे में लोगों ने अपने-अपने ढंग से वर्णन किया है। वृंदा कारत जी ने इस का वर्णन किया है, वसन्ती

स्टान्ली जी ने भी किया है और कहा है कि आज महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन हो गई हैं। सीरियल "सास बहू" के विषय पर आधारित कई सीरियल बने है जिन में एक महिला, दूसरी महिला को नीचा दिखाने के लिए क्या-क्या काम करती है, यह बताने की आवश्यकता नही है। आज Reality Show के माध्यम से ये चीजे दिखाई जा रही हैं। हालांकि उन में talent hunt भी हो रहा है, प्रतिभाएं सामने आ रही हैं, जोकि एक अच्छी बात है, लेकिन साथ-ही-साथ युवाओं के लिए बन रहे सीरियल्स "Roadies" है, "Split Villa" है, उन में लड़कियों के इतने कम वस्त्र होते हैं कि कोई टी.वी. की तरफ देख ही नहीं सकता है।

कोई बैठ ही नही सकता है। एक बड़ा वीभत्स स्वरूप दिखाई देता है। आखिर ऐसा क्यों है? केवल वह स्वरूप ही नहीं, बल्कि जो आपस की वार्ता होती है, जो आपस में संवाद होते है, जो आपस में चर्चाएं होती हैं, ये vulgarity से इतनी पूर्ण होती हैं कि आप उनको सुन भी नही सकते। गाली से भरी हुई ये चर्चाएं भयंकर हैं। एक-एक चीज़ जो सामने आती जा रही हैं, ये सारी चीजें, जो टीआरपी को बढ़ाने की होड़ मे की जा रही हैं, यह दु:खद है। मैंने एक गैर-सरकारी विधेयक रखा था, जिसमें सारी चीजों का वर्णन किया गया था।

आज जितने भी विज्ञापन आ रहे हैं, उनको आप नहीं देख सकते। बच्चे उन विज्ञापनों को बड़े चाव से देखते हैं और कहते है कि हमें और कोई सीरियल नहीं देखना है, बल्कि वह विज्ञापन वाला सीरियल ही देखना है। चाहे वह विज्ञापन गर्भ-निरोधक का हो या जांघिया और बनियान का हो। जांघिया और बनियान का जो विज्ञापन है, उसमें क्या जरूरत है कि सारा स्वरूप उत्तेजक दिखाया जाए? संदेश तो अन्य तरीके से भी दिया जा सकता है, लेकिन उत्तेजक स्परूप दिखाए जाने का प्रयत्न किया जाता है। ऐसी अनेक चीजें हैं। मैंने एक गैर-सरकारी विधेयक "इलैक्ट्रॉनिक मीडिया पर वाणिज्यिक विज्ञापन विनियमन विधेयक, 2005" दिया था। उस समय के मंत्री श्री मुंशी जी ने जवाब देते हुए मुझे बताया था कि "श्री मिश्र जी, our Government is actively seized of this matter and hopefully in this year itself I am going to bring forward a Bill on Content Regulatory Mechanism Authority in the country." उन्होंने यह उस समय कहा था। ये सारी बातें तो पहले आई हुई हैं, लेकिन इस पर होना क्या चाहिए? अब प्रेस के बंधुओं ने भी टीवी चैनल्स को नियंत्रित करने के लिए, self regulation के लिए, 'Ombudsman' नाम की एक संस्था बनाई। उसका चेयरमैन रिटायर्ड चीफ जस्टिस श्री जे.एस. वर्मा को बनाया गया। उनके क्या अधिकार हैं, यह माननीया मंत्री जी स्वयं बताएंगी। उन्होंने किस तरीके से नियंत्रण किया है, यह स्वयं उनको जानने का प्रयन्त करेंगी ...**(समय की घंटी)**... ये सारी चीजे बड़ी तेजी के साथ चल रही हैं। मैं इसके लिए निश्चित रूप से सुझाव देना चाहता हूं कि मीडिया के माध्यम से, चाहे वे चैनल्स हों या प्रिंट मीडिया हो, ये सारी चीजे तो की जा रही है, लेकिन ये सारी चीजे इसीलिए हो रही हैं। हम किसी भी प्रकार से यह नही कहना चाहते कि संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार का नियमन किया जाए, उसको नियंत्रित किया जाए। Freedom of Speech और Freedom of Expression को नियंत्रित करने का कोई सवाल ही खड़ा नही होता, लेकिन उसकी मान्यता सुनिश्चित की जाए। Decency of morality के बारे मे संविधान ने भी कहा है कि उसके आधार पर चार नियम बनाना चाहिए। इसके बारे में भी विचार किया जाए। मंत्री जी इस संबंध में National Cultural Policy बना सकती हैं, जो सब के लिए और विशेषकर मीडिया के लिए लागू हो सके। अभी पूर्व मंत्री जी ने regular Authority बनाने की जो बात कही है, इसके बारे मे वे क्या विचार कर सकती हैं? इसके साथ ही साथ मैं यह भी चाहूंगा कि इतनी सारी चीजें जो हो रही हैं और आपकी तरफ से गाइडलाइन्स भी दी गई हैं, तो क्या आपके विभाग के स्तर पर जो अधिकारीगण

हैं, वे इन सारी चीजों को देख नही पाते हैं? ...**(समय की घंटी)**... अगर वे देख पाते हैं तो इसको कंट्रोल करने के लिए वे क्या प्रयत्न करते है? ये सारी चीजे है, जिनके बारे में जानकारी दी जाए तो शायद हम सदन के माध्यम से देश को यह संदेश दे सकेंगे कि हम गंभीरतपूर्वक विचार करके इन सारी चीजों को नियंत्रित करते हुए एक सकारात्मक दिशा में विकास हो सके, इस दिशा में हम सोच रहे हैं, ऐसा हम अनुभव करते है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा. प्रभा ठाकुर (राजस्थान) : धन्यवाद, उपसभापति जी। बड़े महत्वपूर्ण विषय पर यह चर्चा हो रही है। जो इलैक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो टीवी चैनल्स हैं, वे देश में अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। देश की आजादी के दौरान भी जो प्रिन्ट मीडिया है, जो समाचार-पत्र हैं, उनकी बड़ी अच्छी भूमिका रही है। इस देश में जब टीवी चैनल्स आरंभ हुए, सबसे पहले दूरदर्शन पर तो बड़े अच्छे-अच्छे सीरियल्स आये, जिनके लिए पूरी ट्रैफिक रुक जाती थी। मुझे पता नही कि उनकी क्या टीआरपी हुआ करती थी। "हम लोग", "बुनियाद", "रामायण", "महाभारत" और "भारत एक खोज" जैसे कुछ सीरियल्स थे।

जो कि एक संदेश भी देते थे, जिनको पूरा देश एकजुट होकर देखा करता था। वे मनोरंजन भी देते थे और जानकारी भी। आज जो TV Channels हैं वे हमारे गाइड भी हैं, कहीं समाज के गुरू भी हैं, समाज का आइना भी हैं और वे कही न कही समाज को एक मार्गदर्शन देने की, आलोचना करने की, उसको उपदेश और संदेश देने की शक्तियां रखते है। इसलिए मीडिया की या TV Channels की जितनी शक्तियां हैं, उतनी ही उनकी जिम्मेदारी भी है। सर, इस सदन में जहां न्यायपालिका के कार्यकरण पर चर्चा होती है, जहां कार्यपालिका या विधायिका के कार्यकरण पर चर्चा होती है, जहां संसद सदस्य द्वारा अगर कही मर्यादाविहीन होकर आचरण होता है तो उन पर भी कार्यवाही होती है, इसलिए कोई भी संस्था इस देश में सामाजिक व्यवस्था, राष्ट्रहित और समाजहित से ऊपर नहीं है और इसीलिए जब भी कोई ऐसी बात होती है तो इस सदन में चर्चा होती है। आज जिस तरह से सदन को चिता हुई है तो हम कही न कही आम आदमी की अभिव्यक्ति को, जो हम तक पहुंची है, हम उसको इस सदन के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहे है। चिंता यह है कि मनोरंजन पहले भी मिला है, समाचार पहले भी मिले हैं, लेकिन अब एक ऐसी होड़ क्यों हो गई है। अगर इस होड़ की जड़ TRP है, TRP और advertisement जगत की मिलीभगत के कारण अगर इस तरह की होड़ लगी हुई है कि अमर्यादित कार्यक्रम, जो समाज मे किशोर मन हैं, जो बच्चों के युवा दिमाग़ हैं, उनको कही न कहीं गलत प्रेरणा देते हैं या गलत राह पर डालते हैं, गलत दिशा में प्रेरित करते हे, तो इससे एक चिंतनीय स्थिति पैदा होती है। मीडिया खुद लोकतंत्र का चौथा शक्तिशाली स्तम्भ है, इसलिए पहले तो उनको खुद ही अपनी लक्ष्मण रेखा का ज्ञान होना चाहिए। इस देश, इस राष्ट्र और समाज के प्रति उनको अपनी जिम्मेदारी का अहम बोध स्वयं ही होना चाहिए, ताकि यह स्थिति न आए कि इस तरह की चर्चा सदन में करनी पड़े।

महोदय, हमारे कई माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कही हैं, चिता और चिंतन के बाद कही हैं, चाहे वह किसी कार्यक्रम के बारे में कही गई हों या सच का सामना के बारे में कही गई हों। सर, अगर आप सच का सामना देखेंगे, तो आप उस सच का सामना नहीं कर पाएंगे। इस तरह की बातें उसमें कही और पूछी जाती हैं, मैं समझ नही सकती हूं कि किस तरह से वह सब allowed है। किसी TV Channel के नीचे अगर यह लिख

दिया जाए कि यह केवल व्यस्कों के लिए है, बच्चों के लिए इसे देखना मना है, यह तो फिल्म की तरह हो गया, जो कारगर नहीं है क्योंकि घर-घर में TV Channels लगे हुए हैं और parents हर वक्त तो घर पर होते नहीं हैं, हर वक्त तो वे बच्चों को रोक भी नहीं सकते। वहां पर किसी तरह से कोई adult वाला formula चल ही नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में बच्चों के हित के लिए, समाज के हित के लिए इस मामले को सरकार को देखना पड़ेगा। महोदय, हम जानते हैं कि माननीय मंत्री महोदया स्वयं एक महिला हैं, संवेदनशील हैं, अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझती हैं। महोदय, मैं मंत्री महोदया से कहना चाहती हूं कि दूरदर्शन एक ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से जो कार्यक्रम आते हैं, वे मर्यादित हैं और उस तरह की कोई न कोई guidelines और चैनल्स के लिए भी होना चाहिए। दूरदर्शन पर जो समाचार आते हैं, वे सचमुच में समाचार होते हैं, जैसे कि समाचार होने चाहिए। अब यह कोई तर्क नहीं है कि लोग यह कार्यक्रम पसंद कर रहे हैं, इसलिए हम इसे दिखा रहे हैं। लोग तो पसंद अच्छे-अच्छे कार्यक्रमों को भी कर रहे हैं, भारत एक खोज को भी इसी देश ने पसंद किया है, आज भी कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पसंद किया जा रहा है। तो ऐसी कोई लोगों की रुचि नहीं है, हम लोगों की रुचि का गलत आकलन न करें। भारतीय संस्कृति के प्रति राष्ट्र की जिम्मेदारी है। महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि NEWS Channels NEWS के लिए थे, लेकिन आज वे अधिकांशतः मनोरंजन दे रहे हैं और मनोरंजन से भी ज्यादा दे रहे हैं, जैसे सनसनी। सनसनीखेज कार्यक्रमों के नाम पर रेप तथा ऐसे-ऐसे हिंसक व भयानक क्राइम उन पर दिखाए जाते हैं - पहले तो उनको रिपीट कर-करके दिखाया जाना, फिर एक कार्यक्रम की कल्पना करके कार्यक्रम बनाकर फिर उसका प्रस्तुतीकरण करना, इससे क्या मिल रहा है समाज को? कई बच्चों के दिमाग पर इसका बड़ा विपरीत असर पड़ता है और उन्हें लगता है कि यह कोई बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है और उनका मन होता है उसे करने का। हम कई बार पढ़ते हैं कि इन-इन बच्चों ने फलां फिल्म या सीरियल देखकर इस तरह के अपराध को अंजाम दिया, वहां से वे ऐसे अपराध सीखते हैं। कई बार TV में हम देखते हैं कि विधि बताई जाती है - नकली दूध बनाया जा रहा है, नकली घी बनाया जा रहा है, नकली दवाएं बनाई जा रही हैं, वह तो ठीक।

लेकिन उनकी विधि भी बताई जा रही है कि कैसे बनाया जाता है। इससे कई लोग सीखेंगे, उसको बनाने के लिए प्रेरित होंगे, जो नकली चीज अगर एक जगह बिक रही है, तो सारे देश में बिकने लगेगी। अब कई जगह हम देखते हैं कि अगर किसी धर्म, जाति या संप्रदाय संबंधी कोई हादसा होता है या घटना होती है, तो आज टी.वी. चैनल्स से ज्यादा बढ़िया जिम्मेदारी कौन निभा सकता है कि वह उस आग पर पानी डालते हैं या उस आग में घी डालता है। वह चिंगारी आग बनती है, भड़कती है, वह देश के एक कोने में लगती है, लेकिन टी.वी. चैनल्स के माध्यम से वह आग पूरे देश में फैल सकती है। आज इन टीवी चैनल्स की अहम जिम्मेदारी है और वह बोध उनको होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह इस दिशा में देखे और जैसे माननीय सदस्यों ने विचार रखा है कि इस तरह की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो हो, लेकिन यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और किसी की स्वतंत्रता का हरण न करे, समाज की जो संस्कृति है, उसका हरण न करे और सामाजिक मर्यादा का हरण न करे। इसके लिए जरूरी है कि भूत-प्रेत, जादू टोने, अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगे। आज इस तरह के कार्यक्रम आ रहे हैं कि गायें गायब हो रही हैं, गायें कहां जा रही हैं, वे बता रहे हैं कि गायें उठ रही हैं और आसमान में जा रही हैं, कोई रॉकेट जैसी चीज उनको खीच रहा है। ऐसी कल्पना से कार्यक्रम बनाकर लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है।

नरबलि जैसी चीजों को इस रूप में दिखाया जा रहा है। अपराध जगत और अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों को ग्लोरिफाई किया जा रहा है, डॉन, अंडरवर्ल्ड का बादशाह, माफिया किंग-ऐसे टाईटिल उनको दिए जा रहे हैं, ताकि युवा पीढ़ी इन सबको देखकर प्रेरित हो। उनको कंडम करने के बजाय, उनको ग्लोरिफाई करने वाले शब्दों का इस्तेमाल होता है।

अंत में मैं यही कहूंगी कि सरकार इसके लिए कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी जरूर बनाए, जैसे फिल्मों में सेंसरशिप होती है, वरना वहां भी क्या जरूरत है, वहां तो लोग फिर भी टिकट लेकर जाते हैं। इसलिए इस बारे में कुछ न कुछ व्यवस्था हो, कुछ नीति हो, कुछ अथॉरिटी हो, सरकार उसकी कुछ गाइडलाइन सुनिश्चित करे। जैसे दूरदर्शन पहले काम करता था, न्यूज चैनल्स काम करते थे, सारे चैनल उसी तरह से काम करें, उसी दिशा में काम करें और देश के समाज और संस्कृति को, देश की एकता और अखंडता को देखते हुए, अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करें, मैं यही कहना चाहूंगी। धन्यवाद।

श्री शिवानन्द तिवारी (बिहार) : उपसभापति जी, यह सदन बहुत गंभीरता के साथ इस सवाल पर चर्चा कर रहा है और मुझसे पहले बोलने वाले सदस्यों ने विस्तार से इस पर अपनी बातें रखी हैं, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा जोड़ने की गुंजाइश मेरे पास नही है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि टी.वी. चैनल वालों का यह कहना है कि लोग देखना चाहते हैं, इसलिए हम दिखाते हैं। मैं यह मानता हूं कि sex and violence - ये दोनों चीजें ऐसी हैं, जिनके प्रति इंसान की उत्सुकता बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन जैसे-जैसे सभ्यता का विकास हुआ, वैसे-वैसे मनुष्य ने समझा कि यदि sex and violence को मर्यादित नहीं किया गया, यदि उसको अनुशासित नही किया गया, संयमित नहीं किया गया, तो इंसान और समाज चल नहीं सकता.है। इसलिए धीरे-धीरे sex and violence को अनुशासित बनाने के लिए समाज ने नियम और कायदे बनाए। सभ्यता के विकास के दौर में जिस ढंग से sex and violence को संयमित करने का प्रयास हुआ है, अनुशासित करने का प्रयास हुआ है, उसको फिर से अराजक बनाने की आज जो चेष्टा हो रही है, उस पर सदन की चिंता बिल्कुल जायज़ है। मैं श्याम बेनेगल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बननी चाहिए, लेकिन सरकार के हाथ में उसको रेगुलेट करने का अधिकार दिया जाए, मैं इससे बिल्कुल असहमत हूं। हमको याद है कि बिहार में एक बार हमारे यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और पंडित जगन्नाथ मिश्र जी उसके मुख्य मंत्री हुआ करते थे, वे एक Press Bill लेकर आए थे और यह भ्रम पैदा हुआ था कि उस Press Bill के जरिए, प्रैस की आज़ादी को नियंत्रित करने की कोशिश होगी और हम सब लोगों ने उसके खिलाफ आंदोलन किया था, उस आंदोलन में हमने लाठी खाई थी और हम करीब डेढ़ महीने तक जेल में रहे थे। इसलिए हम प्रैस की आजादी के पक्षधर हैं और यह मानते हैं कि प्रैस को नियंत्रित करने का कोई भी अधिकार सरकार के हाथ में नहीं रहना चाहिए। उस मामले में श्याम बेनेगल जी ने जो सुझाव दिया है, मैं उस सुझाव के साथ सहमत हूं कि इसमें सिविल सोसायटी के लोगों को, प्रैस के प्रतिनिधियों को रखा जाना चाहिए और सरकार के प्रतिनिधि भी उसमें रहें।

ऐसी एक Regulatory Body बननी चाहिए, लेकिन वह दंत-विहीन और नख-विहीन नही होनी चाहिए। आज जैसे Press Council of India है, आप उसके सामने कोई शिकायत कीजिए, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। जैसे वृंदा जी ने जिस अखबार का कतरन आपको दिखाया, आप उसको पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि पूरे दिल्ली शहर के लोगों को उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है कि तुम सार्वजनिक जगहों पर औरतों को

पीछे से च्यूंटी काटो, अगर काटते हो, तो तुम बहादुर हो और तुमको तमगा मिलेगा। एक राष्ट्रीय अखबार के द्वारा इस तरह से भड़काना, जिसका बहुत सम्मान के साथ नाम लिया जाता है, उस तरह का अखबार इस तरह का विज्ञापन और इस तरह का competition चलाता है और हम लोग इसको चुपचाप देखते रहें। मैं तो अम्बिका जी को कहूंगा कि सबसे पहले यह जो आपके सामने चुनौती है कि जिस तरह के कार्यक्रम का और प्रतियोगिता का विज्ञापन इस अखबार ने निकाला है, इसके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। इसके Editor और प्रकाशक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। मैं इस बात का समर्थन करते हुए कि एक Regulatory Body बने और उसको ताकत दिया जाए और यह अधिकार दिया जाए कि वह जो फैसला करे, वह फैसला लागू हो। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Gireesh Kumar Sanghi; you have only five minutes.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I hope there is no conflict of interest.

SHRI GIREESH KUMAR SANGHI (Andhra Pradesh): I run a newspaper. I don't run a TV channel. ...*(Interruptions)*... Still, if you have any objection, I will...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: It was a lighter comment. Come on, Gireesh. Take it easy.

SHRI GIREESH KUMAR SANGHI: Sir, an appeaser is one who feeds the crocodile hoping it will eat him in the last. सर, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, जो पूरे समाज से संबंध रखता है और यह एक बहुत ही सामाजिक मुद्दा है। पता नहीं क्यों इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो एक हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे, उसको उन्होंने रखा। कल क्या होगा? क्या टेलिवीजन चैनल वाले हमको बताएंगे या नही बताएंगे? अगर नही बताएंगे तो क्या होगा? मैं नहीं समझता कि यह सदन उनकी मेहरबानी पर चलता है। अगर वह हमें उनके चैनल से बताएं या नही बताएं, उनके बताने या नहीं बताने से पूरा समाज हमारे performance का जजमेंट करता है, जजमेंट तो वह यही करेगा कि अगर हम किसी मुद्दे पर सही बात करते हैं और अपनी बात निर्भय होकर रखते हैं, तो उसको सराहना जरूर मिलेगी।

सर, हमारी जो संस्कृति है, वह दुनिया में अपनी एक विशेषता रखती है। लॉर्ड मैकाले ने 1935 में कहा था, "I have travelled the length and breadth of this country and I did not find a single deceit, a single begger, a single cheat. Such is the high morale and ethos and culture of this country. And unless we change the whole perception, we cannot rule this country. And, I think, that is what is going to happen; it is happening gradually. अगर हम आने वाले बीस साल, पच्चीस साल या पचास साल देखें और कुछ आंकड़े यह बताते हैं कि 2050 में हमारे देश की आबादी 175 करोड़ हो जाएगी और विश्व का सबसे महत्वपूर्ण देश हो जाएगा, वह हम अभी भी हैं। हमारा देश 2050 में आबादी में विश्व का सबसे बड़ा देश होगा।

और 2060 तक विश्व की करीब एक-तिहाई आबादी हमारे देश में होगी। इसलिए यह तो हम सबको मिलकर तय करना है कि इस जनता को, इस आबादी को, इस समाज को किस दिशा में हम ले जाएं? क्या सीख हम उनको सिखाएं? हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को हम क्या सिखाएं, क्या दिखाएं, उनको क्या समझाएं? A child tells in the street what his father and mother say at home. हमारा बच्चा जब बाहर जाता है तो हमारा जो आचरण

होता है, हम उसको जो सीख देते हैं, उसकी ही वह बाहर बात करता है और हम सब जानते हैं, हमारे देश में कोई ऐसी व्यवस्था नही है कि हर घर में पांच-दस टी.वी. या पांच-दस rooms हो। करीब 90 प्रतिशत से ज्यादा आबादी झुग्गी-झोंपड़ियों में रहती है या 2 rooms, 3 rooms set में रहती है और उनके पास बैठने के लिए एक ही room होता है और उसी रूम में बैठकर पोता टी.वी. देखता है, बाप देखता है, दादा देखता है। सकुटुंब उसी drawing room में बैठकर वे सब टेलीविज़न देखते हैं, जैसा कि कई वक्ताओं ने बताया। जब हम बैठकर वह देखते हैं और कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाती है, तो रिमोट हमें अपने हाथ में रखना पड़ता है, तुरंत चैनल बदलना पड़ता है क्योंकि बहू-बेटियां साथ में बैठी होती हैं - तो यह हमारी संस्कृति है! इस संस्कृति को हमें पूरे विश्व को देना है, यह नही कि पूरी पश्चिमी सभ्यता को हमें सीखना है। इसलिए यह जो मुद्दा है, यह बहुत अहम मुद्दा है और इस मुद्दे को मैं नही समझता, कोई नया कानून, कोई नया रेग्युलेटर और कोई ... आप चाहे कितने कानून बना लो, अम्बिका जी, चाहे कितनी सख्ती बरतें, बाद में विवाद आ जाएगा स्टेट एंड सेंटर का। अम्बिका जी अगर डायरेक्शन देंगी, तो इंप्लिमेंट कौन करेगा? स्टेट को करना पड़ेगा, स्टेट पुलिस को करना पड़ेगा। हमारी स्टेट पुलिस किस तरह से काम करती है, हमारे पास कितने कानून हैं, कहां-कहां क्लब चलते हैं, कहां-कहां डिस्को चलते हैं, कहां-कहां नाइट क्लब चलते हैं, यह सबको पता होता है और क्या action लिया जाता है, हम सबको पता है। इस चीज़ पर हमको बहुत ज्यादा गंभीरता से सोचना है, इसलिए समाज को इंट्रोस्पैक्शन करना होगा, टी.वी. चैनल वालों को इंट्रोस्पैक्शन करना होगा कि हम जो बता रहे हैं, वह समाज के लिए सही है या नही है। अगर हम सही नही बता रहे हैं, उसमें हमारा कोई लालच है, किसी पैसे कमाने के इरादे से वह बता रहे हैं, तो उससे समाज distort होगा, समाज में बुराइयां आएंगी। इसलिए उनको इंट्रोस्पैक्शन करके, आपस में चर्चा करके उस चीज़ को खुद बंद करना पड़ेगा। जब तक यह नही होगा, सामाजिक दबाव नही होगा, तो मै नही समझता कि कोई कानून, कोई रूल्स या रेग्युलेशन, कोई नया एक्ट इसको कर सकता है।

महोदय, एक छोटी सी बात और मैं इस सदन के माध्यम से रखना चाहूंगा। मैं इस सदन में 2004 में आया हूं। एक से एक महान वक्ताओं को मैंने सुना है। बहुत कमिटेड लोग हैं, पर जब बाहर नेताओं के बारे में बताया जाता है कि नेता ऐसा है, नेता वैसा है, तो दुख होता है। कामकाज छोड़कर लोग समाज सेवा में जुटे हुए हं, कामकाज छोड़कर लोग प्रजा का प्रतिनिधित्व करते है और सैक्रिफाइस करते हैं और ऐसे-ऐसे लोग सैक्रिफाइस करते हैं, जिसकी कोई चर्चा ही नही होती है। दूसरी ओर नेताओं की दूसरी ही छवि बनाई जा रही है, इसलिए उसको भी हमें देखना है, उसके ऊपर भी विचार करना है। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री उपसभापति : लास्ट स्पीकर, श्री भारतकुमार राऊत हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री भगत सिंह कोश्यारी (उत्तराखंड) : सर, मेरा भी नाम है।

श्री उपसभापति : नहीं, आपका नाम नही है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी : सर, मेरा नाम है। मेरा नाम प्रस्ताव में दिया हुआ है।

श्री उपसभापति : बिल्कुल नही है.... मेरे पास नही है। ...**(व्यवधान)**... प्रस्ताव का नही है। इस two and a half hours के शॉर्ट ड्यूरेशन डिसकशन में प्रस्ताव की बात नही होती है। राऊत जी, सिर्फ तीन मिनट बोलिए।

श्री भारतकुमार राऊत (महाराष्ट्र) : माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि लास्ट मिनट में आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैंने सारी चर्चा बहुत गौर से देखी और सुनी है। मैं आपको बताना चाहता हूं ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : मैं पूरे सदन को यह बताना चाहता हूं कि daily हम bulletin में यह repeat कर रहे हैं कि डिबेट शुरू होने के आधा घंटा पहले जो भी नाम आएंगे, जिनका भी टाइम होगा, वही नाम लिए जाएंगे। हम repeat कर रहे हैं, यह decision हो चुका है कि कोई भी डिबेट में आखिरी moment में हाथ उठाकर participate नहीं कर सकता है। ...**(व्यवधान)**... आपकी पार्टी से नहीं दिया गया है। इसलिए मैं सदन से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन रूल्स का हम पालन करें।

श्री भारतकुमार राऊत : महोदय, जो चर्चा यहां पर दो घंटे से ज्यादा समय से हो रही है, उसे मैंने बड़ी रुचि से और गौर से सुना। मुझे यह बताना है कि जिस तरह से मीडिया की चर्चा हो रही है, उसे लेकर हम जरूरत से ज्यादा चिंतित हो गए हैं। मैं इस मीडिया का एक सदस्य हूं। मेरे सब ज्येष्ठ सदस्य मुझसे गुस्सा होंगे, नाराज़ होंगे, फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि जो-जो इल्ज़ाम सबने मीडिया के ऊपर, विशेषतया electronic media के ऊपर लगाए हैं, ये सब मानने के बावजूद भी मैं बताना चाहता हूं कि इसके लिए इलाज गवर्नमेंट की regulatory authority नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट की regulatory authority लाएंगे तो अन्य जो regulatory authorities हैं, उनका जो परिणाम हुआ, वही परिणाम इसका होगा। इससे हमें जो परिणाम चाहिए, वह नहीं मिलेंगे। इसलिए If at all we are interested in bringing in a better and civilised society, there should be self-restraint. वृंदा जी ने कहा कि महिला को कम दर्शाने वाले विज्ञापन आते हैं, प्रोग्राम्स आते हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं कि ऐसा होता है और मैं इसके लिए शर्मिन्दा हूं। लेकिन वृंदा जी और यहां बैठे सब लोग बाहर की दुनिया में लीडर्स हैं। They are social, political and cultural leaders. अगर हमें इसके ऊपर कंट्रोल करना है, तो अम्बिका सोनी जी की गवर्नमेंट से कुछ नहीं होने वाला है। ये जो लोग हैं, इनको जनता मानती है, इनके पीछे लोग हैं, इनके पीछे संगठन हैं। ये लोग ऐसा कोई campaign करें कि लोग प्रोग्राम नहीं देखें। लोग क्यों ये प्रोग्राम्स देखते हैं? वे इसलिए देखते हैं क्योंकि इनमें उनकी रुचि है, अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन उनकी रुचि होती है। अगर हम इनको बोलेंगे कि यह सब मत दिखाओ तो कोई कानून बनेगा। महोदय, कानून तोड़ने की natural प्रवृत्ति होती है, लोग कानून तोड़ेंगे। इसलिए इस तरह से कुछ करना चाहिए जिससे लोग इन्हें न देखें। यह जो आयुद्ध है, यह आयुद्ध सरकार के पास या कानून के पास नहीं है, यह social education के पास, cultural education के पास है और यह cultural education, यह social education हमारे नेताओं के बीच में है। ...**(समय की घंटी)**... सर, मैं एक और बात बताना चाहता हूं। यहां बहुत से लोग बोल रहे थे कि यहां पाश्चात्य संस्कृति लाई जाती है। सर, यह विश्व नज़दीक आ रहा है। We are coming very close to each other. हम techololgy की वजह से, scientific progress की वजह से नज़दीक आ रहे हैं। We cannot be selective. अगर वहां पर मोबाइल आता है तो वह मोबाइल हमें चाहिए, वहां विज्ञान की प्रगति होती है तो विज्ञान की प्रगति हमें चाहिए, वहां के विचार चाहिए, लेकिन वहां के कोई प्रोग्राम आएं तो यहां पर नहीं चलेंगे - ऐसा selective attitude हमें नहीं देना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो जनता यह नहीं मानेगी। जैसे श्याम बेनेगल साहब ने बताया कि एक प्रोग्राम जो वहां पर चला हे, वही प्रोग्राम, वैसे का वैसा अगर इंडियन चैनल पर भी दिख रहा है तो उससे किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन जब वह दूसरे नाम से, हिन्दी नाम से यहां आता है तो हमें आपत्ति होती है। We cannot be that selective. मेरी एक ही गुजारिश है कि self regulatory होना चाहिए। मैं

न्यूजपेपर में काम करता हूं। जैसे हर न्यूजपेपर में अपना खुद का code of conduct होता है, कभी लिखित होता है, कभी अलिखित होता है लेकिन खुद का code of conduct होता है। वैसे ही चैनल्स में भी होता है। उस conduct को ठीक करने की कोशिश करो, उससे ही कुछ फायदा होगा, आपकी regulatory authority से मुझे नही मालूम कितना फायदा होगा। इसलिए मेरी मंत्री जी से दरखास्त है कि आप इस तरह की एक convention बुलाओ, एक seminar बुलाओ, जिसमें सबको बुलाकर उनकी राय लो और उनको खुद को regulate करने के लिए प्रेरित करो। धन्यवाद।

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI AMBIKA SONI): Mr. Deputy Chairman, Sir, I am indeed very happy that we have had an instructive and a very extensive discussion. विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा का विषय हम सब लोगों ने जैसे बार-बार दोहराया है। That the adverse impact which today some ot the television programmes, which have excessive violence and are obscene, the impact, the adverse impact they have on our social values, on our family values and more especially on the young formative mind. Across the House Members have expressed their anguish and deep concern and I have very methodically noted the points ot every single Member who spoke here today. I just want to assure the House that I am not any different. I may be a Minister today but I am a woman and I am a grandmother, I am as concerned as anyone of the Members who spoke and those who did not speak when we see that the values that we have grown up with are getting eroded. We all worry about our children seeing too much of television, even excessive viewing of Cartoon TV is not good. The increasing violence in society makes us think that the viewing of TV channels, TV shows and cinema are causing violence to increase in the society. But, as Mr. Shyam senegal pointed out and some others, including, we, as public representatives, are conscious of the fact that there some sections to the people, many of whom are young, who, probably, may not be sharing our concerns in the same degree as we have voiced them today. Then, of course, all us have directly or indirectly, placatingly or apprehensively talked of media. And the sensitivity of the media to any kind of control, any type of attempts, much more so by a Government to arbitrarily deal with them, regulate them or even to control them. We all realise that it is an extremely sensitive subject. There are competing priorities. On the one hand, the right under article 19 of the Freedom of Expression and, on the other hand, equally important the concerns of civil society, parliamentarians, NGOs, parents, weaker sections, courts directives and – Mr. Venkaiah Naidu has gone – the 32nd Report of the Rajya Sabha Petitions Committee which has dealt with it extensively. We all want to ensure that salutary community standards for broadcasting, etc. are established. These discussions are not new, I am new, I have been for seven weeks in this Office and, please, believe me when I tell you that from 1997, when it all began, in 1995 when we put the Cable Regulatory Act in place, in 1994 we made the rules, and in 1997 when the Government of that time brought a Broadcasting Bill to put in a mechanism in the Lok Sabha, the Lok Sabha was dissolved and the Bill lapsed. I have with me the entire chronology of what happened at different

times under different Governments and as Rajeev Shuklaji rightly said, all of us have been either directly or indirectly in the Government of India since 1997 till date. I do not want to read out the tabulation. The reason of my mentioning this is that we have all been concerned and yet this being such a sensitive subject that each time any Government or any group of people or a Ministry has taken up, made up its mind to put in place a mechanism, technology has advanced mushrooming of television channels has taken place, uplinking and downlinking rules have changed the scenario.

The whole thing has to be discussed, interacted and spoken of with the stakeholders all over again. I am making no excuses, but, realising the sensitivity all of us have condoned interaction, discussion, the evolving of a consensus on what to put in place. I would like to mention that I am so happy to hear so many of our hon. Members, in fact, almost everyone has spoken of the need to put in place some credible mechanism maybe self-regulatory, but, certainly independent to deal with Content Code and to deal with so many other issues concerning the various stakeholders. All over the world and probably India is one of the few countries – I have again a list of all the countries of the world – which have some regulator in place. Their powers, their terms of reference may be different. But there are in place, regulators. India is probably one of the very few countries which do not have regulations. The most popular model which most people have, not today, but, on earlier occasions in our interactions, have referred to is OFCOM which is what guides the BBC. But there are several countries all over the world that have these regulators in place. We in India also in the last few years have developed some mechanism. Maybe it is not effective, maybe it does not have any statutory power but the effort has been there and we should appreciate it. There is the National Broadcasters Association, the NBA; the Indian Broadcasters Federation, the IBF. We are not happy with ASCI, as Brindaji rightly said, because it takes for too long. The advertisements go on and they are not able to stop them. They and we all have to work within the rules and the framework which we have around us. We cannot ourselves violate something which has not yet given us the permission to deal with it effectively and quickly. But these organisations have also established their own codes. I welcome this for the simple reason, we may feel that they have not been able to do very much, but I welcome this because of the desire on the part of broadcasters to give a content which is not obscene, which is not violence prone, which can be seen by families together. That desire is there somewhere. Let us recognise it. Maybe it has not been effective and we still have aberrations like what the channels that have been mentioned in both Houses. In the course of one week there were two channels referred to and two programmes referred to. I would not like to limit this debate to any individual programme but I would like to say that even though they have set up these, they also realise that there are 480 channels today. I have the record of how many are uplinked and how many are downlinked. They don't have a universal membership. It is difficult for any Body or any association which exists today, no matter how correct their intentions or how deep their desire to conform to our standards of social

norms may be, to represent all 480 channels. Therefore, it has been felt increasingly, as years went on, to put in place a mechanism in the way of a Broadcasting Bill which would in its place put up a Broadcasting Regulatory Authority of India. The Government has not been sitting absolutely inactive and when I say Government I don't mean the one which came into office in 2009. I don't mean even the one which came earlier in power in 2004. I mean Government since 1997. All of us have tried to put in place committees, to have these discussions, to bring about Content Code regulations, to discuss with the broadcasters and other stakeholders.

But, we have not arrived at anything, because anything which is initiated by the Government turns out to be suspect. People feel that we are trying to control and that is not the intention of anyone of us.

I would also like to say that even though the Government should not interfere – in the absence of this mechanism, unfortunately, it has been the role of the Ministry of I & B, with the help of some of the self-regulatory bodies or associations, with the help of an Inter-Ministerial Committee which was specially put in place by the Government, headed by officer, with a definite proviso that the Ministry of Women and Child Development must be represented, to look into all these aberrations of violations referred to by Shri Naik and others codes of our Cable (Regulatory) Act, 1995 and the Uplinking and Downlinking Rules. So, all these violations are looked into by this Committee. I would say that it is an interim arrangement. The Government has also put in place, a year-or-so ago, a mechanism to monitor electronic media. We have increased the number of channels from 150 to 300. But, what I am trying to say is, we are not sitting हाथ के ऊपर हाथ रखकर। ये attempts वीक जरूर होंगे, मगर प्रयास जरूर हो रहा है कि हम कहीं न कहीं कुछ रोक तो लगा सकें। यह मामला इतना संवेदनशील है कि जो हमारे फैमिली वैल्यूज हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हम कल्चरल डायवर्सिटी की बात करते हैं, जो हम लोगों की सामूहिक सांस्कृतिक परंपराएं है, किसी को भी ठेस न पहुंचे, इस दृष्टिकोण से हमारा मंत्रालय कोशिश करता है। शायद आपको सुनने में हैरानी होगी कि पिछले तीन-चार सालों में 278 नोटिस दिए गए, 160 सिर्फ एडर्वटाइमेंट के लिए नोटिस दिए गए और शायद 119 में हो सकता है, एक-दो ज्यादा या कम हों, 119 में से आगे बढ़कर भी कुछ कार्यवाही की गई। कुछ चैनल्स को बंद कर दिया गया था क्योंकि उनका content कुछ साल पहले भारत में बिल्कुल चल नहीं सकता था, लेकिन इसके अलावा आप यह सब जानते हैं क्योंकि मुझ से पहले भी मंत्री रहे हैं और उनसे पहले भी रहे हैं। जब content बदला नहीं गया, या जिसके कारण नोटिस मिला हो या उस नोटिस को लापरवाही के कारण नजर अंदाज किया हो, तो कई दफ़ा भले ही अच्छा नही भी लगता हो, लेकिन एक नियम का पालन करने के लिए जो भी कोड है, उसके अंतर्गत काम करने के लिए, चैनल्स भी कुछ अर्से के लिए बंद कर दिए गए। यह तरीका बहुत समय तक नहीं चल सकता है। आज 480 चैनल्स हैं, कल 550 चैनल्स हो जाएंगे और आगे ये 600 हो जाएंगे। मैं

विशेष तौर पर रवि शंकर प्रसाद जी से यह कहना चाहती हूं कि ये भी इस मंत्रालय में मंत्री रह चुके हैं और ये मुझ से ज्यादा जानते हैं। इन्होंने जो TRP का मुद्दा उठाया है, राजीव शुक्ल जी ने भी उठाया है तथा और सदस्यों ने भी इसका जिक्र किया है, एक बहुत अहम बात है कि TRP बहुत मोटिवेटिंग फोर्स है और यह जो टैम बाडी है, यह इंडस्ट्री और एडर्वटाइजेज की एक राय से बनी है। एक और कोशिश हुई कि एक ई-मैप भी बने, लेकिन वह चल नहीं सकी। एक BARC है, जो इसी मामले को देखना चाहती है। हम विशेष तौर पर TRP के मामले में ध्यान देने के लिए ट्राई के पास भी गए। उन्होंने कहा कि BARC कोई ऐसा इंतजाम करे, जिसमें सरकार के दो नुमाइंदे भी हों, बेशक उनको वोट देने का अधिकार न हो, लेकिन नुमाइंदे रहने चाहिए। उन्होंने सरकारी नुमाइंदे रखने के लिए साफ इंकार कर दिया, परन्तु कोशिश जरूर हो रही है। एक बात और है कि हम लोगों को और भी ध्यान देना पड़ेगा। आज 480 चैनल्स हैं, कल 550 आगे 600 चैनल्स होंगे, जब आपका हिटस सिस्टम, HD TV सिस्टम होगा और आज टेक्नॉलोजी इस रफ्तार से आगे बढ़ रही है...।

दो सौ से अधिक न्यूज चैनल्स हमारे देश में हैं। लोगों को न्यूज चैनल्स से खबर नहीं मिलती तो टी.आर.पी. एक कारण है। जब खबर नहीं मिलती तो मैं देखती हूं कि हम लोग खबर बनाने पर विवश हो जाते हैं। हमारे नौजवान बच्चे ही तो एंकर्स है। वे बेचारे टेलीविजन कैमरा लिए जर्नलिस्ट बनकर खबर की तलाश में घूमते हैं। जब हम यह कहते हैं कि मीडिया ने रोजगार उपलब्ध करवाने का एक बहुत बड़ा रास्ता हमें दिखाया है, तो हमें सोचना पड़ेगा। मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रही हूं, कारण बता रही हूं कि कई कारण ऐसे बनते हैं, जो न भी बनने पर लोग बनाना चाहते हों। वह कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। मैंने कहा कि एक रेग्युलेटरी बॉडी बनाना बहुत अनिवार्य है। एक "कॉमन कॉज' एन.जी.ओ. है, शायद अरुण शौरी के पिताजी, एच.डी. शौरी उसके अध्यक्ष होते थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पी.आई.एल. दर्ज की थी, वह चल रही है। पिछले आठ-नौ सालों में सुप्रीम कोर्ट में हमने खुद चार, पांच एफिडेविट्स फाइल किए हैं। NBA वहां गए हैं, IBF वहां गए हैं, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे बुलाए गए हैं। उन्होंने 2007 में जब गुज्जर आंदोलन हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट had suo motu put up two committees. One of them was under the distinguished legal luminary, Mr. Nariman, to look into the role of the media. We all had attended their meetings. We all had responded to their cal s to give our points of view. They also came out strongly for a self-regulatory body. What I am saying is that this self-regulatory body seems to be the only way out. I am very happy to tell the House that for the last seven weeks, my colleagues, in the Ministry, and I myself had three meetings with the NBA, the IBF, the ASCI and other individual stakeholders on how to move forward. We cannot have these debates in Parliament and have Members of Parliament anguished and angry, and rightly so; have expressed their concerns and apprehensions. So, we have had three meetings so far. They want to talk, they want to discuss and interact and they wanted us to nominate somebody, from the Ministry, who would take this process further. We had, in the third meeting, named the Secretary, I&B, and his colleagues, whoever he wants to take with him, to have these discussions. And, I do hope that at the end of it, we will be able to arrive at a way of putting a regulatory body in place. There is a fear. And, the fear is, as many of you, especially, Mr. Benegal, said, that if this regulatory body will only be control-content, and it is the Government is a Member, who will be appointing the Chairman, and all the Members. There is an apprehension. So, we will try our best to not only make it credible, self-regulatory, independent, but we would also like to put in place representatives of stakeholders of the media, members of the civil society; maybe as ex officio members, the concerned officials of the

Government, just to keep abreast. And, the self-regulatory body is that what we have in mind. We have had discussions with the State Governments. Most of the State Governments have replied in support of this move. But the fear that our people have about, it being a controlled body, is what we are trying to dispel in the process. We have started to arrive at a clear format of what we are going to do.

Mr. Venkaiah Naidu had mentioned about the Rajya Sabha Committee. did want to tell him that the Ministry has taken some action on his report. But that is also on the same thing.

Some other suggestions have come up from civil society; and they are being implemented by channels, like parental locks. But then that doesn't work, it doesn't work in the sense that when we live in one room or one family having a single TV, it doesn't work. You watch a TV together, but parental locks are something which are increasingly being put in. Defusing, blurring of images of the dead, victims of violence, discrimination, exploitation, especially, women, are being increasingly done by channels. We are being conscious. Watershed system has been talked of that all borderline programmes should be permitted only from 11.00 p.m. to 4.00 a.m. A greater emphasis and care is being put by channels themselves in a self-regulatory mode to show live only what is live and not to have replay being shown as live. The Election Commission has come out with its own suggestions of do's and don'ts during elections. All these concerns, in my frank opinion, can be put in place only if we are able to work towards this self-regulatory body. I agree that the Press Council of India may not have teeth. But I don't think, in recent years, anyone has said that the Press Council of India is controlled by Government. Maybe, we have to look at it all afresh, visit these institutions and mechanisms once again. If the teeth are needed, what kind, this can only be done by discussion and by interaction. So. I am very happy that the Members, by and arge, were all for putting in place this body.

Believe me, the debate, the speeches, the points all of you have made, are going to be by themselves quite a pressure on all of us who are trying to define a way forward and to put in place this mechanism which have referred to several times.

Brindaji, I am extremely surprised to hear about it; I don't know how I missed it. I do read newspapers quite thoroughly. But I did miss this item on Delhi, I will take it out and send it to the Press Council of India for whatever they can do. But I do agree with Mr. Raut that something has to also be like a social movement by all of us. We need to switch off channels. I am not putting it all on you, please. I have already accepted that what we have to do, we have to do. But we have to also think a little out-of-the-box while all this mechanism is being formulated, while we keep you informed of all what we are doing and the progress we are achieving and keeping in mind that this process has been going on for the last 12 years. I do feel that it is a welcome idea if we start some kind of social

movements which will increase the voice of the people, especially, of all of us who don't want to see programmes which hurt our sensitivity.

रवि शंकर प्रसाद जी और राजीव शुक्ल जी ने TRP के बारे में कहा था। हम लोगों ने इसमें काफी कुछ काम किया है। हम लोग TRAI के पास गए। TRAI ने यह बात BARC के सुपुर्द की कि वह इसमें गवर्नमेंट के दो nominiees रखे, लेकिन BARC सरकार के साथ बिल्कुल तालमेल नहीं रखना चाहता। इसके अलावा एक Standing Committee of Parliament on Information Technology ने भी अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश की और पार्लियामेंट में रखी थी। ...**(व्यवधान)**...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Madam Minister, will you yield for a minute?

SHRIMATI AMBIKA SONI: Yes.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Madam Minister, you may recall, I did not at all talk of content regulation, and, I hope with your wide experience, you would know that TRP management has nothing at all to do with content. It is a private body which has acquired this right as a prop up of advertisers. Now, if we have 400 channels, mass viewing, why don't you come with a proper legislation making an autonomous body to monitor TRP? What is the problem there? There is no content conflict at all.

SHRIMATI AMBIKA SONI: I am sorry, I did not say that TRP and content are the same. In seven weeks, I have, at least, learnt that much! I told you that TRP is a privately run organisation between the industry and advertising houses. It has got nothing to do with content. But you did say rightly that there is freedom of media; that there is right of creativity; there is obligation to society and creativity in advertisements should not dilute society. You said something like that. I am only upholding what you said.

श्री कलराज मिश्र : मैडम, आपने ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती अम्बिका सोनी : मैं उनके सवाल का भी जवाब दे रही हूं। हम लोगों ने सरकार की तरफ से टीआरपी के मामले में भी काफी कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं। हम TRAI के पास भी गए, उन्होंने भी हमें अपने सुझाव दिए। मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो स्टैंडिंग कमेटी है, उसने भी अपनी रिपोर्ट दी है और ये सब एक ही दिशा की ओर चल रहे हैं कि वहां भी एक इंडिपैंडेंट बॉडी बनाई जाए, जो हफ्ते के हफ्ते अपनी टीआरपी रेटिंग न दे। हम सब लोगों को इस बात का एहसास है कि ये मीटर कहां-कहां लगाए जाते हैं। जो जम्मू-कश्मीर इत्यादि दूर-दराज के इलाकों में रहते हैं या फिर नॉर्थ-ईस्ट की स्टेट्स में रहते हैं, उनकी इच्छा के बारे में उन्हें कोई कन्सर्न नहीं रहता है। टीआरपी उनकी इच्छा को नहीं दिखाता है ...**(व्यवधान)**... जी हां, बिहार, यूपी जहां भी आप जाएं, हम लोगों को सदा इन इलाकों की ज्यादा चिंता रही है। इसलिए मैं आपको कहना चाह रही हूं कि न तो मेरा दिमाग बंद है, न मेरे कान बंद हैं और न ही मेरी आंखे बंद हैं। इसमें मैंने आपको बताना चाहा था कि जो काम हम कर रहे हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री शिवानन्द तिवारी : उपसभापति जी, माननीय मंत्री जी से मैं एक सवाल करना चाहता हूं। पूरे हाउस ने यूनानिमस ढंग से जो कन्सर्न शो किया है, उसको कैसे मीट किया जाए, यह उनको और उनकी सरकार को देखना है।

श्री उपसभापति : वही तो वह बता रही हैं।

SHRIMATI AMBIKA SONI: Sir, I welcome the interventions of all the Members, and I specially underline that I felt strengthened and supported that everyone, in one way or the other, had

suggested that there should be some regulatory body, independent, credible and with some teeth, which would take care of violations by anyone, whether they be advertisers or content creators, if they violate either the code or the regulatory act, or the up-linking and down-linking rules, that would look after that. I have already welcomed that. I have told you that you must give me a little more time. You have taken 12 years; I am not asking for that much! This is the way to go forward.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, let her complete.

SHRIMATI BRINDA KARAT: The confusion is there because you are constantly talking about self-regulation when self-regulation has miserably failed. So, what we are unanimously suggesting in this House, Sir, is that an independent regulatory authority should be set up through an appropriate legislation by Parliament. This is what we are suggesting. Don't leave it to them to set up their own bodies.

SHRIMATI AMBIKA SONI: I would like to inform the hon. Member that I did inform - and I do not want to repeat what I have said – that in the last couple of years, in the absence of anything else, and no, wanting Government to perform the role of a regulatory, self-regulation...

SHRIMATI BRINDA KARAT: We do not want Government regulation, Madam.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, let her complete. *...(Interruptions)...* Let the hon. Minister complete.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, I have to make this point. It is not about Government regulation. We want an independent regulator.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You may intervene later. Let the hon. Minister complete.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, it is not only Government that has to regulate, *...(Interruptions)...* Sir, it is not only Government control on the one hand and control of media barons on the other. These are not the only two alternatives in this country. We should have an independent regulator.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, let the hon. Minister complete.

SHRIMATI AMBIKA SONI: Sir, I am extremely sorry that I have not been able to convey what I am saying, in an articulate manner, to a very articulate MP, Shrimati Brinda Karat. I just said that I appreciate the self-regulatory bodies which have come up in the absence of anything else, which all of us had felt, should have been in place in the last 12 years, that is, an independent regulatory authority. I welcome this move. It should be viewed as a move towards adhering to the programme and advertisement code. We are talking about it with them. I have said that we are trying; the Broadcast Bill has been discussed with States.

The draft Bill made by my Ministry is on the Ministry's website. The idea of putting it on the website was to get more inputs and have a national debate. These things have to be talked out. The situation is always an evolving situation with technology moving daily at a fast pace. Whatever we

arrive at finally by legislation or by an Act of Parliament, it should have the maximum consensus around it. That is what we are trying to work out. I have only asked for some more time from the House. I hope the hon. Members would give me this time.

श्री कमाल अख्तर : सर, ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : वह हो गया। ...(**व्यवधान**)... नहीं, नहीं। अब इनसे सवाल-जवाब बहुत हो गया ...(**व्यवधान**)... बहुत लम्बा डिस्कसन हो गया। ...(**व्यवधान**)... Message from Lok Sabha...(**व्यवधान**)... अब आप बैठ जाइए।

MESSAGE FROM LOK SABHA

Motion on Constitution of the Joint Committee on Offices of Profit

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

"I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on Monday, the 27th July, 2009, adopted the annexed motion regarding Constitution of the Joint Committee on Offices of Profit.

I am to request that the concurrence of Rajya Sabha in the said motion, and also the names of the members of Rajya Sabha appointed to the Joint Committee, may be communicated to this House."

Motion

> "That a Joint Committee of the Houses to be called the Joint Committee on Offices of Profit be constituted consisting of fifteen members, ten from this House and five from the Rajya Sabha, who shall be elected from amongst the members of each House in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote:
>
> That the functions of the Joint Committee shall be –

to examine the composition and character of all existing "committees" [other than those examined by the Joint Committee to which the Parliament (Prevention of Disqualification) Bill, 1957 was referred] and all "committees" that may hereafter be constituted, membership of which may disqualify a person for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament under artice 102 of the Constitution;

to recommend in relation to the "committees" examined by it what offices should disqualify and what offices should not disqualify;

to scrutinize, from time to time, the Schedule to the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959, and to recommend any amendments in the said Schedule, whether by way of addition, omission or otherwise;

That the Joint Committee shall, from time to time report to both Houses of Parliament in respect of all or any of the aforesaid matters;